प्रवाह

महोत्सव विश्वास का
75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

बचाया गया एक पैसा, कमाए गए दो पैसों के बराबर है।
-रैंडी थुरमन

शीर्ष अदालत ने नीट को नए सिरे से कराने की मांगें खारिज कर इस मामले में सभी संशय दूर कर दिए हैं। लेकिन प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करती हैं। ऐसे में, खामियों को दूर करना ही 'नीट' प्रकरण का संदेश है, ताकि परीक्षाओं की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनी रहे।

नीट और संदेश

मेडिकल में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को रद्द कर इसे नए सिरे से कराने की मांगों पर सर्वोच्च न्यायालय के इन्कार के बाद इस मामले में बीते कुछ महीनों से चल रही चर्चाओं पर तो विराम लगा ही है, इस फैसले के बाद अब नीट-यूजी 2024 में दाखिले की प्रक्रिया के आगे बढ़ने का रास्ता भी साफ हुआ है। हालांकि शीर्ष अदालत ने माना है कि झारखंड के हजारीबाग और बिहार के पटना में परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक हुए और इनका फायदा 155 छात्रों को मिला, जिसकी अलग से जांच भी हो रही है। लेकिन फिलहाल जो सुबूत मिले हैं, उनसे यह साबित नहीं होता कि प्रश्नपत्र योजनाबद्ध ढंग से बड़े पैमाने पर लीक हुए और जिनसे परीक्षा की शुचिता भंग हुई हो। उल्लेखनीय है कि मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा नीट-यूजी गत पांच मई को 571 शहरों में आयोजित की गई थी, जिसके नतीजे चार जून को घोषित हुए, जिसमें 67 छात्रों को पहली रैंक मिली। एक ही परीक्षा केंद्र से कई टॉपर्स होने पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद एनटीए ने जांच के लिए एक पैनल बनाया। सोलह जून को खुद शिक्षा मंत्री ने माना कि एनटीए से गड़बड़ी हुई है। विवाद बढ़ने पर 22 जून को केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी और बीस जुलाई तक बिहार, गुजरात और राजस्थान समेत कुल सात राज्यों में पचास से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके थे। ताजा निर्णय में शीर्ष अदालत का यह कहना महत्वपूर्ण है कि अगर पुनः परीक्षा का आदेश दिया जाता है, तो इससे परीक्षा में शामिल 23 लाख से ज्यादा छात्र गंभीर रूप से प्रभावित होंगे, साथ ही, मेडिकल शिक्षा का पूरा शेड्यूल भी बिगड़ जाएगा। हालांकि नीट में पूछे गए भौतिक विज्ञान के एक सवाल के संदर्भ में आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकारते हुए अदालत ने सवाल के सही जवाब के आधार पर एनटीए को नए सिरे से नीट के नतीजे घोषित करने का आदेश दिया है, जिससे करीब 4.20 लाख छात्रों के अंतिम नतीजे प्रभावित हो सकते हैं, जो वाकई गंभीर बात है। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद नीट को लेकर जो संशय थे, वे बेशक दूर हुए हैं, लेकिन परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों को ही उजागर करती हैं। सीबीआई तो खैर इन मामलों की जांच कर ही रही है, लेकिन परीक्षाओं की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि पूरी प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

आंकड़ों में दूसरा यथार्थ भी छिपा है

राजकोषीय लिहाज से बजट के आंकड़े प्रभावशाली हैं। नई घोषणाएं भी पर्याप्त हैं। लेकिन एक तरफ बाजार में निवेश बढ़ाने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ कर ढांचे के बदलाव विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। इस तरह के विरोधाभासों से निपटना सरकार के लिए चुनौती होगी।

पिनाकी चक्रवर्ती
अर्थशास्त्री एवं एनआईपीएफपी के पूर्व निदेशक

बीते नौ जून को सत्ता में आई नई राजग सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है। यह बजट कई मायनों में खास है, जो अगले पांच वर्षों के दौरान आर्थिक प्रबंधन के लिए नीतिगत ढांचे का प्रतिबिंब है। बजट की शुरुआत दो सावधानियों के साथ होती है-बढ़ती वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक मुद्रास्फीति का बढ़ता जोखिम। बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा इन दो वैश्विक जोखिमों का उल्लेख दर्शाता है कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था इन वैश्विक जोखिमों के प्रति कितनी संवेदनशील है।

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि इन जोखिमों के बावजूद भारत के विकास की गति बनी रहेगी। लेकिन इसके लिए एक स्थिर व व्यापक आर्थिक व्यवस्था, टिकाऊ ऋण और घरेलू निवेश व उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी बेहद जरूरी है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में नौ प्राथमिकताएं बताई हैं। इनमें उत्पादकता, नौकरियां, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल हैं। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

हाल के वर्षों में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती रही है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस बार बजट में रोजगार, कौशल विकास, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम आकार के उद्यम (एमएसएमई) एवं मध्यवर्ग पर खास ध्यान दिया गया है। बजट में रोजगार बढ़ाने या निजी क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित जिन पांच योजनाओं की घोषणा की गई है, वे समावेशी विकास और सामाजिक विकास के लिए सक्षम ढांचा बना सकती हैं। ये घोषणाएं इस तथ्य को भी रेखांकित करती हैं कि बेरोजगारी इस समय देश के सामने सबसे गंभीर एवं व्यापक आर्थिक समस्याओं में से एक है। कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र और रोजगार के अवसरों के बीच अंतर को पाटने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे को संबोधित करने के उद्देश्य से 2 ट्रिलियन (बीस खरब) रुपये के प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की भी घोषणा की। 60 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का लक्ष्य राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से अगले पांच वर्षों में बीस लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान करना है। कौशल के परिणाम और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो पाठ्यक्रम सामग्री और डिजाइन उद्योग की जरूरतों के अनुरूप है। 60 हजार करोड़ रुपये में से, राज्य सरकारें 20 हजार करोड़ रुपये और उद्योग जगत 10 हजार करोड़ रुपये का योगदान देगा, जिसमें उसके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड भी शामिल हैं।

इस बजट में अगली पीढ़ी के सुधारों से संबंधित कई घोषणाएं की गई हैं। ये सुधार भूमि, श्रम, पूंजी, केंद्र-राज्य समन्वय और प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित हैं। बजट में जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने की खातिर सक्षम ढांचा बनाने पर भी जोर दिया गया है। इनमें से अधिकांश सुधारों का क्रियान्वयन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। खास तौर से भूमि से संबंधित कोई भी सुधार राज्य सरकारों को ही करना होगा। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, भूमि पर अधिकार, जमींदार और किरायेदार के संबंध सहित भूमि का स्वामित्व, और किराये का संग्रह; कृषि भूमि का हस्तांतरण तथा भूमि सुधार राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पिछले दो दशकों में भूमि एवं भूमि बाजार में सुधार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कुछ राज्यों में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण एक बड़ी कामयाबी है। इस संबंध में राज्य स्तर पर व्यावहारिक भूमि संबंधी नीतिगत सुधारों के लिए विभिन्न राज्य स्तरीय नीतियों को समझना महत्वपूर्ण है। इस मामले में केंद्र सरकार केवल राज्यों को सक्षम बना सकती है। ये सुधार केंद्र सरकार द्वारा संचालित नहीं किए जा सकते। इसलिए ऐसे सुधारों के कार्यान्वयन की सफलता के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत करनी होगी।

इस बजट में आयकर ढांचे में इस तरह परिवर्तन किया गया है कि आयकर भुगतान के बाद लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा बचा रहे। इसके लिए मूल छूट सीमा को बढ़ाया गया है, जिसके तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती में छूट सीमा भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। बजट में आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की भी घोषणा की गई है। चूंकि आधुनिक कर प्रणाली सरल और प्रशासन में आसान है, इसलिए आयकर अधिनियम की समीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। आयकर स्लैब में भी बदलाव किया गया है, जिससे आय वितरण के निचले छोर पर रहने वाले लोगों को मदद मिलेगी। हालांकि आयकर व्यवस्था वेतनभोगी और मध्यम वर्ग के हाथों में कर चुकाने के बाद अधिक आय प्रदान करती प्रतीत होती है। चूंकि ज्यादातर लोग नई कर व्यवस्था चुन रहे हैं, नए बजट के प्रावधानों के अनुसार, अब आम लोगों के हाथ में ज्यादा खर्च योग्य आय बचेगी, जिससे उन्हें महंगाई से निपटने में भी सहूलियत मिलेगी। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स की दर में बदलाव, उन बदलावों के अनुरूप नहीं है, जो हाल के वर्षों में हमने वित्तीय बाजारों में देखे हैं।

भारत के वित्तीय बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ने से बदलाव की संभावना है। पिछले तीन वर्षों में जब भी देश से पूंजी का बहिर्गमन हुआ है, खुदरा निवेशकों ने ही मदद की है। कैपिटल गेन टैक्स में वृद्धि निवेशकों को विरोधाभासी संकेत दे सकती है तथा शेयर बाजार के आधार को बढ़ाने के बड़े नीतिगत लक्ष्य के विरुद्ध दिख सकती है। मगर राजकोषीय हिसाब-किताब के लिहाज से बजट के आंकड़े प्रभावशाली हैं। राजकोषीय विवेक के साथ चलते रहना होगा और केंद्र सरकार के ऋण और घाटे को राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुरूप कम करना होगा।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

लियो टॉल्स्टॉय

एक व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाकर सैकड़ों लोगों का जीवन बदल सकता है और फिर वे सैकड़ों लोग हजारों लोगों के जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।

दूसरों के भरोसे नहीं होते बदलाव के सपने साकार

__सफलता__ का पहला मंत्र यही है कि पहले हम खुद में बदलाव लाएं। आगे की श्रृंखला तो अपने आप बनती चली जाएगी। सबसे बड़ा परिवर्तन इस बात में आना चाहिए कि हम चीजों को किस तरह देखते हैं। चीजों को देखने का नजरिया बदलना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही हमें सही मार्ग दिखा सकता है। हर कोई दुनिया बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। क्या खुद को बदलना दुनिया को बदलने की शुरुआत नहीं है? सभी लोग दूसरों के साथ प्रयोग क्यों करना चाहते हैं और खुद को अप्रभावित क्यों रखना चाहते हैं? यदि मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूं, तो इसकी शुरुआत मुझसे ही होनी चाहिए, न कि किसी दूसरे व्यक्ति, किसी बाहरी चीज या बाजार से। अगर आप समाज में, दुनिया में बदलाव को देखना चाहते हैं, तो इसकी पहल आप ही को करनी होगी।

दूसरों के भरोसे आप किसी तरह का बदलाव लाने का सपना साकार नहीं कर सकते। बदलाव कोई अचानक होने वाली घटना भी नहीं है। इसमें लंबा वक्त लगता है। महीनों, वर्षों, दशकों यहां तक कि सदियां भी। लेकिन अगर आज आप इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं और जैसा बदलाव देखना चाहते हैं, तो वैसा होने के लिए सबसे पहले उस बदलाव की प्रक्रिया अपने से ही शुरू करनी होगी। अगर हम स्वयं को ही नहीं बदल सकते तो औरों से अपेक्षा कैसे कर सकते हैं! इसलिए इस दिशा में सफलता का पहला मंत्र यही है कि पहले हम खुद में बदलाव लाएं। आगे की श्रृंखला तो अपने आप बनती चली जाएगी। परिवर्तन कैसा होना चाहिए, यह भी एक उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितना कि बदलाव की जरूरत। सबसे बड़ा परिवर्तन इस बात में आना चाहिए कि हम चीजों को किस तरह देखते हैं, उन्हें कैसे समझते हैं? हम यह कैसे समझते हैं कि दुनिया हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है। इसी से हमें पता चलता है कि जिन चीजों को हम बदलना चाहते हैं, वे कितनी बदल सकती हैं और इसमें कितनी सच्चाई है। वैसे यह कोई मामूली काम नहीं है, लेकिन असंभव तो कतई नहीं। हां, यह बेहद चुनौतीभरा काम जरूर है और इसे लेना भी चुनौती के रूप में ही चाहिए। इसलिए बदलाव की शुरुआत अपने से ही करनी होगी। अगर हम खुद को बदलना सीख गए तो जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों और बाधाओं से पार पा सकते हैं। खुद में बदलाव लाकर न सिर्फ हम अपना, बल्कि दूसरों का जीवन भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। एक व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाकर सैकड़ों लोगों का जीवन बदल सकता है और फिर वे सैकड़ों लोग हजारों लोगों के जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। यह प्रक्रिया गणित की गुणोत्तर श्रेणी की तरह ही चलती जाती है।

पहले खुद को बदलें

सूत्र

मजबूत व्यक्तित्व वाले इन्सान के साथ लोग खुद ब खुद जुड़ते चले जाते हैं और यहीं से सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होती है। इसलिए समाज और दुनिया को बदलने के लिए पहले हम खुद को बदलने का प्रयास करें। अगर आप चीजों को देखने का नजरिया बदल लेंगे, तो चीजें भी बदलती चली जाएंगी। दूसरे शुरू करेंगे, इस इंतजार में ठहरे न रहें।

दूसरा पहलू

जापान में प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी एक जैसे बस्ते 'रैंडोसेरू' का इस्तेमाल करते हैं। यह अनिवार्य नहीं, बल्कि वहां की पहचान है।

जापान के समाज को जोड़ता किताबों का थैला

जापान में बच्चों को घर से लेकर स्कूल तक संस्कृति से जोड़े रखने की शिक्षा दी जाती है। वहां के लोगों में बचपन से ही नियमों के प्रति जागरूकता दिखती है। मसलन, कोरोना महामारी के समय जापान में मास्क अनिवार्य नहीं था, न ही अधिकृत लॉकडाउन लगाया गया। फिर भी लोगों ने मास्क पहने व भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज किया। जापान में करीब डेढ़ सौ साल से प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थी एक ही तरह के स्कूल बैग का इस्तेमाल करते हैं, जिसे 'रैंडोसेरू' कहते हैं। चिबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर शोको फुकुशिमा कहते हैं कि 'रैंडोसेरू' न तो अनिवार्य है, न ही स्कूलों की ओर से कोई दबाव डाला जाता है, बल्कि छात्र और अभिभावक स्वेच्छा से इसे खरीदते हैं।

मोटोको रिच

जापान में स्कूली वर्ष अप्रैल से शुरू होता है। मैंने देखा कि टोक्यो में कितासुना एलिमेंट्री स्कूल में प्रवेश समारोह के लिए पहली कक्षा के छात्र व उनके माता-पिता पहुंचे थे। वे सब इन क्षणों को यादगार बनाने के लिए कतार में लगकर फोटो खिंचवा रहे थे, जिनमें लगभग सभी बच्चों के पास 'रैंडोसेरू' था। सारी अकीमोटो के छह वर्षीय बेटे कोटारो ने कैमल कलर का 'रैंडोसेरू' चुना था। वह कहती हैं कि हमारी पीढ़ी ने 'रैंडोसेरू' का उपयोग किया। हमने भी अपने बेटे के लिए सोचा कि यह अच्छा होगा। पहले लड़के काले व लड़कियां लाल रंग के 'रैंडोसेरू' को उपयोग में लाती थीं, पर अब रंगों को लेकर विविधता आ गई है। इनमें इंद्रधनुषी रंग, कार्टून, जानवरों या फूलों के चित्र भी होते हैं। 'रैंडोसेरू' को 19वीं शताब्दी में मीजी युग में पहचान मिली थी। कुमामोटो विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र और शिक्षा के एसोसिएट प्रोफेसर इत्तोकु तोमानो कहते हैं कि स्कूलों ने यह विचार विकसित किया है कि 'हर कोई एक जैसा और एक परिवार है।'

पहले लड़के काले व लड़कियां लाल रंग के 'रैंडोसेरू' को उपयोग में लाती थीं, पर अब इंद्रधनुषी रंग, कार्टून या फूलों के चित्र वाले भी प्रचलन में आ गए हैं।

1885 में गाकुशुइन स्कूल ने शाही परिवार को शिक्षित करने के लिए अधिकृत स्कूल बैग बनाया था, जो नीदरलैंड के सैन्य बस्ते जैसा दिखता है। तभी से 'रैंडोसेरू' जापान के बचपन की एक सर्वव्यापी पहचान बन गया।

1885 में गाकुशुइन स्कूल ने शाही परिवार को शिक्षित करने के लिए अधिकृत स्कूल बैग बनाया था, जो नीदरलैंड के सैन्य बस्ते के जैसा दिखता है। इतिहासकारों के अनुसार, तभी से 'रैंडोसेरू' जापान के बचपन की एक पहचान बन गया। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान 'रैंडोसेरू' सैन्य अभियानों में काम आया था। विश्वयुद्ध के बाद लोग उपहार में 'रैंडोसेरू' देने लगे। इस साल सोनी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को उनके बच्चों के लिए उपहार में 'रैंडोसेरू' दिया था। कक्षा छह की 11 वर्षीय काहो मिनामी ने गहरे लाल रंग का 'रैंडोसेरू' अपने पास रखा था। वह कहती है 'मुझे महसूस होता है कि यह एक पवित्र परंपरा है, जिसे जारी रखना एक अच्छी बात है।' ©The New York Times 2024

आंकड़े

बढ़ता बजट

पिछले 70 वर्षों में भारत का बजट कई गुना बढ़ गया है, जो साल दर साल और दशक दर दशक बढ़ता जा रहा है।

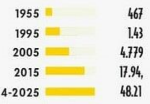

1955	467
1995	1.43
2005	4.779
2015	17.94,
2024-2025	48.21

आंकड़े लाख करोड़ रुपये में, पर 1955 में 467 करोड़ रुपये ही हैं। | स्रोत: Lok Sabha Sectt

पांच गृहस्थ वेदज्ञ व आरुणि उद्दालक राजा अश्वपति के पास पहुंचे और वैश्वानर विद्या सिखाने का आग्रह किया। राजा ने कहा कि पृथक उपासना नहीं करनी चाहिए।

अश्वपति ने सिखाई विद्या

अंतर्यात्रा
संकलित

कैकय देश के राजा अश्वपति वैश्वानर विद्या के उपासक थे। एक बार प्राचीनशाल, सत्यज्ञ, इंद्रद्युम्न, जन व बुडिल नाम के पांच गृहस्थ वेदज्ञ ने आरुणि उद्दालक से वैश्वानर विद्या सिखाने का आग्रह किया। उद्दालक ने कहा कि मुझे इस विद्या का पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए आपको राजा अश्वपति के पास जाना चाहिए। आरुणि और पांचों गृहस्थ वेदज्ञ राजा के पास पहुंचे। राजा ने उनका सत्कार किया।

अश्वपति ने उनसे कहा कि हमारा यज्ञ हो रहा है, आप उसमें उपस्थित हों और दक्षिणा लें। वे सब यज्ञ में नहीं पहुंचे, तो अश्वपति ने अपनी सफाई में कहा कि हमारे राज में सब ठीक है, कोई भी चोर, लोभी, शराबी, यज्ञहीन और व्यभिचारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग, तो आप से वैश्वानर विद्या सीखने के लिए आए हैं। राजा ने कहा, कल आना। अगले दिन सभी लोग राजा के पास पहुंचे। अश्वपति ने पूछा कि आप अपनी उपासना पद्धति के बारे में बताएं। सभी लोग एकांगी उपासना करते थे। राजा ने कहा कि एकांगी उपासना से आपका बड़ा अनिष्ट हो सकता था। इसलिए वैश्वानर आत्मा की पृथक-पृथक उपासना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन भोजन के समय अन्न के पांच ग्रास लेकर 'ऊं प्राणाय स्वाहा, ऊं व्यानाय स्वाहा, ऊं उदानाय स्वाहा, ऊं अपानाय स्वाहा, ऊं समानाय स्वाहा' इन पांच मंत्रों की आहुतियां देकर अपने उदरस्थ वैश्वानर का अग्निहोत्र करना चाहिए। इससे संसार के समस्त प्राणी संतुष्ट होते हैं।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 02 अगस्त, 1956

सनातन धर्म किसी को मंदिर में प्रवेश से नहीं रोकता

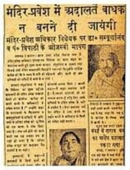

मंदिर-प्रवेश में अदालतें बाधक न बनने दी जायंगी

मंदिर-प्रवेश अधिकार विधेयक पर डा॰ सम्पूर्णानंद व पं॰ त्रिपाठी के ओजस्वी भाषण

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंदिर प्रवेश अधिकार घोषणा पत्र पर मुख्यमंत्री डॉ. संपूर्णानंद ने कहा कि सनातन धर्म किसी को भी मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोकता है। उन्होंने अपील की कि किसी को मंदिर जाने से न रोकें।

महिला उद्यमियों के लिए अवसर

जो महिलाएं उद्यमी बनना चाहती हैं, उनके लिए अवसर बेहतर है, क्योंकि बजट में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली कई घोषणाएं की गई हैं।

लक्ष्मी वेंकटरमण वेंकटेशन

उद्यम

केंद्रीय बजट 2024 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। यह खासकर महिला उद्यमियों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, जो भारत में एमएसएमई सेक्टर के विकास और उसके संचालन में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसमें नई क्रेडिट गारंटी योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इससे महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उन्हें मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए सावधि ऋण आसानी से मिल सकेगा, जो महिला उद्यमियों के साथ ही उनके साथ काम करने वाली महिलाओं को भी सशक्त करेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाने की सराहनीय घोषणा की है। पहले मुद्रा लोन के अंतर्गत 10 लाख रुपये की सीमा थी, जिसे अब तरुण श्रेणी के अंतर्गत बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, औसत ऋण का आकार मौजूदा चालीस हजार रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दिया गया है, इसका खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। यह कदम महिला उद्यमियों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। खाद्य प्रसंस्करण या परिधान विनिर्माण क्षेत्रों, जिनमें काम को बढ़ाने के लिए अक्सर पर्याप्त पूंजी की जरूरत होती है, में अब महिलाओं को आसानी से ज्यादा ऋण मिलेगा, जिससे निश्चित रूप से उन्हें अपना उद्यम संचालित करने में सहूलियत होगी। ध्यान देने वाली बात है कि जब काम के लिए आसानी से मदद मिलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा महिला उद्यमी एमएसएमई सेक्टर की ओर आकर्षित भी होंगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना अप्रैल 2015 में जारी की गई थी। इसमें गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को लोन मिलता है।

एमएसएमई समूहों की सुविधा के लिए 24 नई सिडबी (स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया) की शाखाओं की स्थापना करने का निर्णय भी एक स्वागतयोग्य कदम है। ये जो नई शाखाएं खुलेंगी, उनके माध्यम से ऋण और निवेश की जटिलताओं का समाधान होगा। साथ ही ये शाखाएं महिला उद्यमियों को जरूरी वित्तीय मार्गदर्शन प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएंगी।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर स्थापित ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों में भी अपार संभावनाएं हैं। इससे कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन या धातु के काम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला शिल्पकार अब अपने उत्पादों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित कर सकती हैं। यह पहल इन प्रतिभाशाली महिलाओं की आय बढ़ाने के साथ ही उनको खास पहचान दिलाने में उल्लेखनीय योगदान दे सकती है।

बजट में एमएसएमई ऋण के लिए एक नए मूल्यांकन मॉडल का प्रस्ताव किया गया, जिसमें सार्वजनिक बैंक डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर इन-हाउस मॉडल विकसित कर रहे हैं। यद्यपि प्रगतिशील होते हुए भी डिजिटल विभाजन को संबोधित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा प्रायोजित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों या कार्यशालाओं के माध्यम से इस अंतर को पाटना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सभी महिलाओं को इन नए ऋण प्रारूपों से लाभ मिलेगा।

केंद्रीय बजट में रोजगार और कौशल पर जोर देना भी सराहनीय है। 1.48 लाख करोड़ रुपयों का आवंटन सरकार के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, क्रेच और महिला विशिष्ट कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाली पहल से कार्यबल में महिला भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई क्षेत्र में 50 बहुउत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयां स्थापित करने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में बदलाव सहित 60 समूहों में ऊर्जा ऑडिट की सुविधा के प्रस्ताव सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। ये उपाय न केवल एमएसएमई सेक्टर की स्थिरता को बढ़ाएंगे, बल्कि इन उभरते क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए नए अवसर भी पैदा करेंगे।

कुल मिलाकर, वित्तीय सहायता प्रदान करके, ऋण पहुंच बढ़ाकर और कौशल विकास को बढ़ावा देकर, ये उपाय महिला उद्यमियों को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बना सकते हैं। हालांकि, बजट में एमएसएमई सेक्टर को लेकर की गई घोषणाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित हों और उन तक लोगों की पहुंच हो सके, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। यह काम सरकार के स्तर पर, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और निजी संस्थान मिलकर कर सकते हैं। इससे भारत में महिलाओं के नेतृत्व में आर्थिक विकास के नए दरवाजे खुल जाएंगे।

(लेखिका पूर्व राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण की पुत्री और भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट की संस्थापक व प्रबंध ट्रस्टी हैं।)

दैनिक जागरण

अनुशासन की सीढ़ी ही सफलता के गंतव्य तक पहुंचाती है

बजट के विरोध की रस्म

यह बजट आने के पहले से स्पष्ट होता है कि विपक्षी दल किसी न किसी बहाने उसका विरोध करेंगे। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। विपक्षी दल इस आरोप के सहारे बजट का विरोध कर रहे हैं कि उसमें अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। इस विरोध का आधार बिहार और आंध्र प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए विशेष घोषणाएं किया जाना है। बिहार के लिए लगभग 60 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं घोषित की गई हैं। इसके पीछे एकमात्र कारण यह नहीं है कि इन दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ दल भाजपा के प्रमुख सहयोगी हैं। इसका कारण यह भी है कि बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है और आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्र सरकार ने उसे विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया था। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि लोकसभा चुनाव के साथ हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिये यह गारंटी दी थी कि वह इस राज्य को दस वर्ष के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करेगी। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस के नेता बिहार के लिए भी विशेष सहायता देने की मांग करते रहे हैं। यह हास्यास्पद है कि दिल्ली में तो कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए बिहार पर अतिरिक्त कृपा की, लेकिन पटना में उसके दल के ही नेता यह आरोप लगाने में लगे हुए हैं कि बजट में राज्य को कुछ नहीं मिला। बेहतर हो कि कांग्रेस यह स्पष्ट करे कि उसके किन नेताओं की बात को सही माना जाए?

कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की कथित अनदेखी का आरोप लगाकर संसद के भीतर-बाहर हंगामा कर सकते हैं, लेकिन वे इस झूठ को सच साबित नहीं कर सकते कि शेष राज्यों को कुछ नहीं मिला। यह झूठ इसलिए नहीं चलने वाला, क्योंकि एक तो पूर्वोदय योजना में जिन पांच राज्यों को शामिल किया गया है, उनमें बिहार और आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त ओडिशा, बंगाल एवं झारखंड भी हैं और दूसरे, असम को बाढ़ नियंत्रण तथा महाराष्ट्र को सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन दिया गया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर को औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय सहायता का प्रविधान है। यदि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में केंद्रीय सहायता देने के मामले में अन्य राज्यों का नाम नहीं लिया तो इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें कुछ नहीं मिलने जा रहा है। अच्छा हो कि विपक्षी नेता प्रचार पाने के लिए विरोध की बेतुकी रस्म निभाने के बजाय बजट दस्तावेज पढ़ें। उन्हें पता चलेगा कि बजट में राज्यों को किस मद में कितना धन मिलने वाला है।

आर्थिक समृद्धि को बल

बाढ़ बिहार के लिए बड़ी समस्या है। नेपाल से निकली नदियां तबाही मचाती हैं। हर वर्ष बाढ़ से बहुत सी सड़कें टूट जाती हैं। कई इलाके तो चार महीने तक बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। इससे जहां उस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां रुक जाती हैं, वहीं बाढ़ पीड़ित गरीबी के दलदल से नहीं निकल पाते हैं। बाढ़ से हुए नुकसान व इसके पीड़ितों के लिए हर वर्ष सरकार को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। नदियों का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो बाढ़ से मुक्ति मिलने के साथ खेतों को सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही, पेयजल मिलेगा। राज्य में इसपर पहले भी बहुत काम हुआ है, लेकिन इस बार केंद्रीय बजट में बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई व इससे संबंधित अन्य परियोजनाओं के लिए राज्य को 11 हजार 500 करोड़ रुपये की जो धनराशि दी गई है, उससे निश्चित ही इसे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस धनराशि से कोसी-मेंची नदी जोड़ो परियोजना पर काम आगे बढ़ने के साथ बाढ़ प्रबंधन व सिंचाई की डेढ़ दर्जन से अधिक परियोजनाएं पर काम हो सकेगा। इससे बाढ़ के अभिशाप से मुक्ति के साथ सुखाड़ से भी निजात मिलेगी। उत्तर से लेकर दक्षिण बिहार तक आर्थिक समृद्धि को बल मिलेगा, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि केंद्र से जो राशि इस मद में मिलेगी, उसका सही तरीके से उपयोग हो। काम की गुणवत्ता भी अच्छी हो। जिस परियोजना के लिए धनराशि मिली है, वह समय से पूरी हो। अक्सर देखा जाता है कि परियोजना के लिए धनराशि तो मिल जाती है, लेकिन वह समय से पूरी नहीं हो पाती। एक साल में पूरा होनेवाला काम तीन-चार साल में भी नहीं हो पाता है। इससे एक तो उस परियोजना का बजट बढ़ता है, दूसरा लाभ मिलने में देरी होती है। निर्माण एजेंसियों की मनमानी भी सामने आती है। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। संबंधित मंत्री से लेकर विभाग को तत्पर रहना होगा, तभी बजट में मिली इस राशि का सही फायदा आम जनता को मिलेगा। काम की सख्त निगरानी के लिए एक समिति भी बनाई जा सकती है।

बजट से आगे की चुनौती

जीएन वाजपेयी

बजट में विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर कई अच्छी पहल हुई हैं, लेकिन उनकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि उन पर अमल कैसे होता है

केंद्रीय बजट एक प्रकार से फरवरी में आए अंतरिम बजट का ही विस्तार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें कृषि उत्पादकता एवं उसका उत्थान, कौशल एवं रोजगार, समावेशन एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की राह पर बढ़ने जैसी नौ प्राथमिकताओं का उल्लेख किया। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए करीब 1.52 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से खेती-किसानी की दशा-दिशा सुधरने की आस बढ़ी है। विभिन्न फसलों की प्रस्तावित 109 किस्मों से भी उत्पादकता में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये किस्में जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ रही प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं के विरुद्ध कवच का काम करेंगी। दलहन-तिलहन को प्राथमिकता, डिजिटल क्राप सर्वे के अतिरिक्त किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओ एवं भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने जैसे उपाय उपज को पहुंचने वाले नुकसान को घटाने एवं कीमतों में स्थायित्व सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ की बड़ी राशि आवंटित की गई है। बड़े पैमाने पर आल-वेदर रोड का निर्माण, तीन करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण, विकास की मुख्यधारा में महिलाओं को शामिल करने के साथ ही आदिवासी क्षेत्र आर्थिकी के निर्माण जैसी पहल वंचित वर्गों के जीवन एवं आजीविका पर दूरगामी एवं दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ेगी।

रोजगार की चुनौती का समाधान करने के लिए इंटर्नशिप से लेकर भत्ते के माध्यम से नियोक्ताओं को अतिरिक्त भर्तियों पर प्रोत्साहन जैसी पहल से अच्छे परिणामों की अपेक्षा है। कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने से जहां युवाओं को रोजगार की दृष्टि से प्रशिक्षित होने में सहायता मिलेगी, वहीं उद्योगों के लिए कुशल कर्मियों की आपूर्ति हो सकेगी। भारत में विकास की विद्यमान संभावनाओं को भुनाने में कामकाजी आबादी में महिलाओं की अपेक्षाकृत कम भागीदारी एक अवरोध मानी जाती रही है, जिसे दूर करने के लिए सरकार प्रयासरत है। कार्यशील आबादी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल और ऐसी अन्य सुविधाएं क्रांतिकारी सिद्ध हो सकती हैं। शहरों में काम करने वालों के लिए डोरमेट्री जैसी आवासीय पहल भी उपयोगी सिद्ध होगी। रोजगार के मोर्चे पर पर्यटन को भी प्राथमिकता दी गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केंद्र विकसित करने से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन संभव है, क्योंकि इसमें कुशल एवं अकुशल, दोनों प्रकार के लोग चाहिए। साथ ही सैर-सपाटे पर केंद्रित एक आर्थिक-व्यवस्था भी खड़ी हो सकेगी। रोजगार के लिहाज से एमएसएमई क्षेत्र को भी सरकार ने अपनी वरीयता सूची में रखा है। उनके लिए वित्तीय पहुंच से लेकर तकनीकी सहायता एवं नियमन में सहूलियत जैसे उपाय किए गए हैं। देश के 100 शहरों में 'इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल पार्कों' से भी विनिर्माण क्षेत्र को बड़ा संबल मिलने की उम्मीद है। इसी साल ऐसे 12 पार्क विकसित करने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है। यदि एक बार ऐसा हो गया तो भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ जाएगा।

अवधेश राजपूत

शहरी आवास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन से सिरे चढ़ने वाली योजना उन करोड़ों लोगों के लिए बड़ी राहत का सबब होगी, जो दयनीय परिस्थितियों में रहने को विवश हैं। हमारे शहर आर्थिक वृद्धि के इंजन हैं और रचनात्मक विकास गतिविधियों के जरिये ही उन्हें गति देकर कायाकल्प संभव है। सोलर पैनल पर आधारित मुफ्त घर बिजली योजना भी बाजी पलटने वाली सिद्ध हो सकती है। ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर ट्रांसमिशन पाथवेज, माड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट और एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट भी सराहनीय पहल रहीं। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन भी विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। बेहतर बुनियादी ढांचा न केवल सुगमता बढ़ाने से लेकर ढुलाई जैसी कई लागतों को घटाता है, बल्कि उद्योगों को लिए एक अनुकूल परिवेश का निर्माण भी करता है। वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए विभिन्न कदम भी भविष्य के साथ कदमताल का प्रयास दिखते हैं। बिहार में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक एवं लाजिस्टिक हब जैसी विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये का पैकेज भी समय की मांग के अनुरूप ही है, क्योंकि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि बिहार आज भी सबसे पिछड़े और न्यूनतम जीडीपी प्रति व्यक्ति वाले राज्यों में से एक है। इसी तरह आंध्र प्रदेश को विभिन्न संस्थानों के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपये की मदद को भी आवश्यक ही कहा जाएगा, क्योंकि इस राज्य को अमरावती के रूप में अपनी नई राजधानी विकसित करनी है। ध्यान रहे कि इस राज्य के विभाजन के समय केंद्र सरकार के स्तर पर उससे कुछ वादे किए गए थे। ऐसे कदम भले ही गठबंधन की राजनीति की मजबूरियां कहे जाएं, लेकिन इससे भारतीय संघ एवं राज्यों के बीच भरोसे का पुल और मजबूत होगा।

वित्त मंत्री ने भूमि एवं श्रम से जुड़े सुधारों पर आगे बढ़ने के साथ ही प्रत्यक्ष करों के मोर्चे पर समीक्षा की बात भी कही है। अर्थव्यवस्था लंबे समय से ऐसे सुधारों की बाट जोह रही है। एंजेल टैक्स को समाप्त करके सरकार ने उचित ही किया। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने में भी सरकार सफल रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर अभी और ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यही बात वृद्धि को धार देने वाले अन्य तमाम क्षेत्रों पर भी लागू होती है। प्रतिभूति लेनदेन को लेकर पूंजीगत लाभ कर में कुछ बढ़ोतरी को लेकर असहजता सामने आ रही है, लेकिन इस कवायद में सभी प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए पूंजीगत लाभ कर को एक स्तर पर लाने का प्रयास दिखता है। भले ही बजट को शेयर बाजार की तात्कालिक सलामी न मिली हो, लेकिन यह बजट 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की राह प्रशस्त करता है। बजट में बहुत अच्छी पहल की गई हैं, लेकिन उनकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि उन पर अमल कैसे होता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार अपनी सक्षमता एवं योजनाओं को तेजी से अमल में लाने के मोर्चे पर अर्जित प्रतिष्ठा की कसौटी पर खरी उतरेगी।

(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

नौकरशाही की जकड़न से निकले शिक्षा

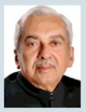

जगमोहन सिंह राजपूत

जो उच्च शैक्षिक पद वर्ष 1975-80 तक शिक्षाविदों के पास होते थे, अब उन सब पर नौकरशाह काबिज हैं

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षा नीट-यूजी को दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन यह कहना कठिन है कि उसके फैसले से परीक्षा आयोजक एजेंसी एनटीए की साख बहाल होने जा रही है। बात केवल एनटीए की ही नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में समूचे देश में अनेक परीक्षाएं कदाचार का शिकार हुई हैं। व्यापम जैसे लज्जाजनक प्रकरण के बाद भी केंद्र और राज्यों की बड़ी संस्थाएं पर्चा-लीक रोक न पाएं तो यह या तो घोर अक्षमता है या संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। देखा जाए तो इसमें देश की न्याय व्यवस्था की शिथिलता की भी भूमिका है। न्यायिक प्रक्रिया के प्रति भय-मुक्त होकर समाज विरोधी तत्व लगातार फल-फूल रहे हैं। यह दिखाता है कि विश्व को नैतिकता और जनसेवा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी के देश ने व्यावहारिकता में उनके जीवन मूल्यों एवं सिद्धांतों को लगभग भुला दिया है। यदि ऐसा हर स्तर पर न हुआ होता तो अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए कुछ लोग करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों को घोर आपदा तथा कष्टकर अवसाद में नहीं झोंकते। यह सब करने वाले पढ़े-लिखे लोग हैं। चूंकि किसी न किसी अध्यापक ने ही इन सबको कभी पढ़ाया होगा, लिहाजा समूचे शिक्षक वर्ग के लिए भी यह गहन मंथन का समय है, क्योंकि देश के भविष्य का निर्माण और नई पीढ़ी का नैतिकता, मानव-मूल्यों तथा सदाचार से परिचय कराने का उत्तरदायित्व तो उनका ही है। हालांकि यह भी सही है कि इस उत्तरदायित्व निर्वहन में व्यवस्था-तंत्र की सजगता और संसाधनों की पूर्ति का प्रभाव पड़ता है।

जब हम गर्व के साथ प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को याद करते हैं, तब उन गुरुकुलों तथा ज्ञान-केंद्रों के सहज संचालन में गुरु के लिए जो सम्मान मिलता था, जिस सहजता से संसाधनों की व्यवस्था होती थी, उसे अक्सर भूल जाते हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं है कि शिक्षा में उत्कृष्टता तभी संभव होती है जब अध्यापकों को 'अफसरों' का भय न हो, संस्था में आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों और उसे परिवार संचालन की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता न हो। यह चिंता की बात है कि आज देश में बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ बढ़ा है। उनमें प्रतिस्पर्धा का तनाव भी प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। कोचिंग संस्थाओं की निर्ममता को झेलने के लिए बच्चे बाध्य हैं। माता-पिता उनके भविष्य की आशंकाओं से व्यथित हैं। यदि स्कूल ठीक से चलें, अध्यापक समय से अपना कार्य करें, पाठ्यक्रम समयानुसार परिवर्तित होते रहें, परीक्षा व्यवस्था पर फिर से लोगों का विश्वास लौटाया जाए, तभी बच्चों को कुछ राहत मिल सकेगी। यह लक्ष्य कठिन है, लेकिन प्रबुद्ध देशवासियों को इस दिशा में आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त करने होंगे।

नीट मामले में प्रेस कांफ्रेंस करते शिक्षा मंत्री। फाइल

वह शिक्षा अधूरी है जिसमें केवल लिखित परीक्षा के अधिकाधिक अंक ही जीवन-लक्ष्य मान लिए गए हों। ऐसी स्थिति में व्यक्ति और व्यक्तित्व विकास की अपेक्षा अर्थहीन हो जाती है। दूसरे विश्व युद्ध में अत्यंत अपमानजनक स्थिति में पहुंचे जापान ने जब राष्ट्र के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया तो उसने कार्य संस्कृति, समय-पालन तथा कर्मठता से राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग तैयार करने को सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य माना। इसकी सबसे पहली सीढ़ी बने स्कूल अध्यापक। उनके प्रयास से अगले दस-बारह साल में युवाओं की ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई, जो अपने सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व निर्वहन में पूरी तरह सक्षम थी। यदि भारत में भी ऐसे अध्यापक, कुलपति, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के अध्यक्ष परीक्षा केंद्रों के संचालन का उत्तरदायित्व निभा रहे होते, तो पेपर लीक की समस्या नहीं होती।

हमारे देश के साथ आज एक बड़ी समस्या यह है कि हमने नौकरशाही प्रशासन और अकादमिक प्रशासन के अंतर को पहचानने से इन्कार कर दिया है। जो उच्च शैक्षिक पद 1975-80 तक शिक्षाविदों के पास होते थे, अब वे सब केवल नौकरशाहों के पास हैं। राज्यों में पाठ्यपुस्तक निगम, स्कूल बोर्ड तथा राष्ट्रीय स्तर पर सीबीएसई, नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन के शीर्ष पदों पर शिक्षाविद् क्यों नियुक्त नहीं हो सकते हैं? डा. कोठारी की अध्यक्षता में बने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66) ने इंडियन एजुकेशन सर्विस (आइईएस) की स्थापना की संस्तुति की थी। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, समय-समय पर विद्वत वर्ग की ओर से प्रयास होते रहे, मगर इस पर हुआ कुछ नहीं। कारण स्पष्ट है कि नौकरशाह इसके लिए तैयार नहीं है। लगता है वह अपने प्रभाव क्षितिज में किसी का प्रवेश नहीं चाहते।

जब भी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की चर्चा होती है, तब संस्थागत स्वायत्तता की ओर सभी का ध्यान अवश्य जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ राज्य सरकारों तथा राज्यपालों के संबंध जिस ढंग से जनता के समक्ष उभरे हैं, उस पर केवल शर्मिंदा ही हुआ जा सकता है। किसी भी विश्वविद्यालय के सुचारु रूप से चलने तथा उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए राज्य सरकार और राज्यपाल के समन्वित सहयोग तथा मार्गदर्शन की महती आवश्यकता होती है। इनमें से एक कुलपति नियुक्त करे और दूसरा उसे निरस्त करे तो इससे लोकतंत्र का विकृत चेहरा ही उभरता है। आज फर्जी डिग्री बांटने वाले अनेक संस्थान भी चिह्नित किए जा सकते हैं। इसके साथ ही अधिकांश राज्यों में शिक्षा संस्थानों में नियुक्तियों को लेकर पारदर्शिता और योग्यता का अभाव नजर आता है। यह सामान्य समझ से परे है कि राज्यों में अध्यापकों की नियुक्ति की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? यदि किसी राज्य में कई साल से रिक्त पदों की संख्या लाखों में हो तो किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी ही होगी।

(लेखक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव तथा पंथक समरसता के क्षेत्र में कार्यरत हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सत्संग

सत्संग एक ऐसा साधन है, जिसके जरिये व्यक्ति को मानव जीवन के मूल उद्देश्य की जानकारी मिलती है तथा वह सद्-मार्ग की ओर उन्मुख होता है। एक किसान अपने खेत को बार-बार जोत कर उसमें बीज डालता है। फसल उगने पर उसमें से खरपतवार आदि को निकालता है तब जाकर अच्छी फसल प्राप्त करता है। इसी प्रकार संत-महात्माओं से सत्संग सुनने, उस पर चिंतन-मनन करने तथा अच्छे-बुरे का अवलोकन करने से ही हमारे विचार स्वच्छ एवं स्पष्ट बनाते हैं।

जीवन में सुख-दुख धूप-छांव की तरह आते-जाते रहते हैं। फिर भी बहुत से लोग जो ज्ञान प्राप्त करके उत्तम मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, कई बार जीवन में थोड़े से कष्ट आने पर ही घबरा जाते हैं और अपने मार्ग को बदल देते हैं। कोई भी सफलता दृढ़निश्चय एवं परिश्रम से ही प्राप्त होती है। इसलिए अध्यात्म मार्ग के पथिक को कभी मन में नकारात्मक सोच को स्थान नहीं देना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रारंभ में जैसी लगन होती है वैसी ही जीवनपर्यंत होनी चाहिए। यदि हम भक्त प्रह्लाद को देखें तो उनके जीवन में बहुत कष्ट आए, लेकिन उन्होंने कभी भक्ति के पथ को नहीं छोड़ा। उन्हें यह दृढ़विश्वास था कि परमात्मा की शक्ति ही सर्वोपरि है, जो कण-कण में समाई हुई है। प्रह्लाद के इस विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए ही भगवान ने उनकी परीक्षा ली।

आज के इस व्यस्त जीवन में व्यक्ति इतना उलझा हुआ है कि परिवार के भरण-पोषण के चिंतन एवं भागदौड़ में स्वयं को तथा जीवन के मूल उद्देश्य को भूलता जा रहा है। सबसे बड़ी भूल हम अपने आत्मा के साथ कर रहे हैं, जो कि परमात्मा का ही अंश है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्मकल्याण करना है। यही बंधनों से मुक्ति और आनंद का एकमात्र उपाय है। इसमें सत्संग सबसे बड़ा सहायक होता है।

अवधविहारी शुक्ल

केन्या में संकट में कौवे

सुधीर कुमार

केन्या की सरकार ने इस साल के अंत तक 10 लाख कौवों को मारने की योजना बनाई है

अफ्रीकी देश केन्या में कौवे इतनी बड़ी समस्या बन गए हैं कि वहां की सरकार ने इस साल के अंत तक 10 लाख कौवों को मारने की योजना बना ली है। घरेलू कौवा उन्मूलन परियोजना (2021-2026) के तहत कौवों को मारने के लिए न्यूजीलैंड से विशेष रूप से 'स्टार्लिसाइड' नामक कीटनाशक का आयात किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इतनी बड़ी संख्या में कौवों को मारने के लिए लगभग पांच से 10 किलोग्राम कीटनाशक की जरूरत होगी, जिसकी कीमत लगभग छह हजार डालर प्रति किलोग्राम बताई जा रही है। इस तरह इस अभियान में 25 से 50 लाख रुपये तक खर्च होने का अनुमान है।

केन्या में पहली बार कौवों का प्रवेश 1880 में हुआ था, जब भारत से इन्हें विशेष रूप से जैविक कचरे की सफाई के लिए लाया गया था, लेकिन अगले चार दशकों में ही इन कौवों ने केन्यावासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। वर्ष 1917 में इन कौवों को 'समस्याग्रस्त कीट' घोषित कर दिया गया। केन्या वन्यजीव सेवा ने इन्हें 'आक्रामक विदेशी पक्षी' घोषित करते हुए कहा है कि ये कौवे सार्वजनिक जीवन के लिए गंभीर परेशानी बन गए हैं। दरअसल कौवों ने केन्या की अर्थव्यवस्था और समाज को गहरा नुकसान पहुंचाया है। इन कौवों ने खेतों में फसलों को नष्ट करने, स्थानीय पक्षियों को उनके आवासों से बाहर निकालने, पर्यटकों पर भोजन के लिए झपट्टा मारने, एयरपोर्ट पर उड़ानों में बाधा डालने और चूजों पर हमला करने जैसी गतिविधियों से केन्यावासियों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न की हैं। इसके अलावा ये कौवे कई बीमारियों के वाहक भी बन गए हैं। इन कौवों ने आम, अमरूद, पपीता के पेड़ और गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का जैसी फसलों को नष्ट करके कृषकों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कौवों का आतंक देख उन्हें मारने के प्रयास पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार लाखों की संख्या में कौवों को निशाना बनाया जा रहा है।

कौवे मनुष्य की तरह बुद्धिमान और समझदार माने जाते हैं। इनके कांव-कांव को घर पर मेहमान आने का संकेत समझा जाता था। ये 'प्राकृतिक सफाईकर्मी' का काम भी करते हैं। वहीं हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कौवों को भोजन कराने की परंपरा रही है। हालांकि हाल के वर्षों में इनकी संख्या में तेजी से कमी आई है। अब घर की मुंडेर पर कौवे की कांव-कांव विरले ही गूंजती हैं। बहरहाल 10 लाख मूक कौवों की हत्या के लिए उठाए गए इस कदम ने पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच नैतिक चिंताओं को जन्म दिया है। सामाजिक और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से भी देखा जाए, तो जीवों की सार्वजनिक हत्या किसी भी हालत में उचित नहीं है। केन्या सरकार को समस्या के समाधान के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

राजस्व के नए स्रोत खोजना भी जरूरी

'वित्तीय अनुशासन पर कायम सरकार' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में धर्मकीर्ति जोशी बता रहे हैं कि आर्थिक स्थिरता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वित्तीय अनुशासन के साथ ही विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। वर्तमान आर्थिक परिवेश में वित्तीय अनुशासन की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। सरकार द्वारा इस पर जोर देकर दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के वित्तीय संसाधनों का प्रभावी और जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग हो। हालांकि वित्तीय अनुशासन का पालन करते समय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकासात्मक परियोजनाएं और सामाजिक कल्याण योजनाएं प्रभावित न हों और समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिले। केवल बजट में कटौती और खर्चों को नियंत्रित करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ-साथ नए राजस्व स्रोतों को भी तलाशना जरूरी है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करके और वित्तीय साक्षरता अभियान चलाकर सरकार राजस्व की निगरानी और संग्रह में सुधार कर सकती है। वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ पारदर्शिता भी महत्वपूर्ण है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनके करों का उपयोग कैसे किया जा रहा है। एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली से न केवल जनता का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि सरकार की विश्वसनीयता भी मजबूत होगी। नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर नए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

संतुलित बजट

इस बार के आम बजट में सरकार के दस साल का अनुभव साफ दिखा वह है। बड़े सुधारों की घोषणा से बचते हुए राज्यों को साथ लेकर चलने का फैसला किया है। दरअसल यही सच्चाई है कि राज्य जब तक केंद्र के साथ कदमताल नहीं करेंगे देश का सपना पूरा नहीं होगा। उन्हें एक मंच पर आना या लाना ही होगा। इसकी ठोस शुरुआत होती दिख रही है। सरकार ने रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा तत्परता दिखाई है। यह सच्चाई है कि सरकारी नौकरियां बहुत नहीं बढ़ सकतीं। लिहाजा निजी सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहल हुई है। यह जरूरी भी था, क्योंकि कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता अगर युवा परेशान हों। माध्यम वर्ग अर्से से नाराज था कि उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसे भी थोड़ी बहुत टैक्स में राहत दे दी गई है। नीतीश और नायडू को भी साधने का प्रयास किया गया है। कुल मिलकर इसे संतुलित बजट कहा जा सकता है।

चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

रोजगार सृजन पर ध्यान

आम लोगों के लिए यह बजट न पाकेट ढीली करने वाला है और न ही बचत करने वाला। लोग संतुष्ट हैं कि सरकार आवश्यक क्षेत्रों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोली है। इससे देश का विकास होगा और इससे हमलोग अछूते नहीं रहेंगे। बजट में युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहली बार नौकरी पाने वाले सभी नए लोगों को एक महीने का वेतन देने की योजना शामिल है। बजट में युवा कौशल कार्यक्रमों के साथ-साथ युवा भारतीयों के लिए शीर्ष 500 कंपनियों में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम की भी घोषणा की गई। सरकार ने मीडिल क्लास के लिए भी बड़ा एलान किया है। मोदी सरकार ने 7 लाख 75 हजार तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा कैंसर की तीन दवाएं, सोना-चांदी से बने गहने और चमड़े से बने सामान को भी सस्ता किया गया है। वर्षों से उपेक्षित राज्य बिहार में विकास की गंगा बहाने के लिए बजट में खजाने का मुंह खोल दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का पद या केंद्रीय मंत्रिपरिषद में ज्यादा संख्या में मंत्रालयों की मांग करने के बजाय, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के लिए फंड सुरक्षित कर लिया।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

हिन्दुस्तान
1936
सत्य · सार्थक · सदैव

बजट पर सियासत

केंद्रीय बजट 2024 पर भेदभाव का आरोप लगना चिंताजनक और विचारणीय है। बजट घोषणाओं के गुण-दोष पर चर्चा से पहले ही इसके आवंटन को भेदभावपूर्ण ठहराया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने आज संसद भवन परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया और सभी राज्यों के लिए समान व्यवहार की मांग की। इतना ही नहीं, विपक्ष ने सरकार पर बिहार और आंध्र प्रदेश का पक्ष लेने का आरोप लगाया और यह भी कहा गया है कि इन दोनों राज्यों को एक तरह से फिरौती दी गई है। चूंकि केंद्र सरकार बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी जैसे घटकों के समर्थन पर निर्भर है, इसीलिए इन दोनों राज्यों पर ज्यादा कृपा की गई है। क्या वाकई दूसरे राज्यों की उपेक्षा की जा रही है? क्या बजट को ऐसे देखने का सियासी नजरिया बिल्कुल सही है? इसमें कोई शक नहीं कि पिछले बजटों में कुछ राज्यों को साल-दर-साल सिलसिलेवार ढंग से ज्यादा निवेश प्राप्त हुआ है और ऐसे राज्यों के नेता अगर अब अपने सूबे से भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, तो दुखद ही कहा जाएगा।

खासतौर पर बिहार के प्रति जो दुर्लभ सदाशयता दिखाई गई है, उसे निशाना बनाना दुखद ही नहीं, चिंताजनक है। बिहार विकास के सबसे निचले पायदान पर रहा है, वहां पर विकास योजनाओं और कल-कारखानों का अभाव है, तो बिहार से युवाओं को रोजी-रोटी के लिए दशकों से पलायन करना पड़ रहा है। अगर पहले के बजटों में समान व्यवहार हुआ होता, तो कर्नाटक राज्य बिहार की तुलना में पांच गुना से ज्यादा अमीर कैसे हो जाता? बेशक, पलायन रोकने का एकमात्र उपाय है कि पिछड़े राज्यों में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए। ऐसा भी नहीं है कि सबसे पिछड़े राज्य को ही सब कुछ दे दिया गया हो। अगर इस राज्य को तमाम परियोजनाओं के लिए 59 हजार करोड़ रुपये मिले हैं, तो इस राज्य से लगभग चार गुना अमीर महाराष्ट्र को अकेले एक बंदरगाह परियोजना के लिए 76 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के लिए अलग राजधानी का विकास जरूरी है, यह बात पूरा देश जानता है, अतः इस राज्य को 15 हजार करोड़ रुपये देकर कतई गलती नहीं की गई है। वैसे, यह कोई पहली बार नहीं है कि बजट आवंटन में सियासत झलक रही है। गौर कीजिए, अनेक राज्यों ने बहुत लड़कर केंद्र सरकार से बहुत कुछ लिया है और जो राज्य लड़ नहीं पाए, वे पिछड़ गए हैं। हां, भेदभाव का आरोप तब पुख्ता होता, जब तमाम भाजपा शासित राज्यों को ज्यादा आवंटन मिलता और अन्य राज्य वंचित रह जाते।

> **यह पहली बार नहीं है कि बजट आवंटन में सियासत झलक रही है। अनेक राज्यों ने बहुत लड़कर केंद्र से बहुत कुछ लिया है और जो राज्य लड़ न पाए, वे पिछड़ गए हैं।**

बुधवार को संसद में विपक्ष के हमले से जहां केंद्र सरकार को सबक लेने की जरूरत है, वहीं बिहार और आंध्र प्रदेश राज्य के नेताओं को भी कुछ सीखना और संभलना होगा। किसी राज्य के पिछड़ेपन के लिए वहां की स्थानीय राजनीति प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होती है। केंद्र सरकार को जहां समग्रता में सभी राज्यों के प्रति न्याय करते हुए अपने बजट को तार्किक ठहराना चाहिए, वहीं निशाने पर आए राज्यों की सरकारों को जान लेना चाहिए कि बजट और ऐसी तरजीह के मौके बार-बार हाथ नहीं आते हैं। बजट में मिली पाई-पाई का उपयोग अपने राज्य को चमकाने में करना होगा। साफ तौर पर तेज तरक्की करते हुए दिखना और हर स्तर पर अपने बजट को बढ़ाने-बचाने के लिए लड़ना कतई गलत बात नहीं है। किसी भी पिछड़े राज्य के नेताओं को यह काम पूरी तैयारी और मुखरता के साथ करना चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले

25 जुलाई, 1949

शरणार्थियों के हक में

नई दिल्ली, २४ जुलाई। भारत के प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के चीफ कमिश्नर, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तथा तामीर, खान और बिजली सचिवालय को यह आदेश जारी किया है कि वे शरणार्थियों से अपने मकानों को खाली न करायें, जिन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। उन्होंने यह भी हिदायत की है कि जिन शरणार्थियों पर मकानों के अनधिकृत कब्जे के कारण नोटिस तामील हो चुके हैं, उनके विरुद्ध भी फिलहाल कोई कार्रवाई न की जाये। प्रधानमन्त्री ने यह आदेश उन हजारों शरणार्थियों की मुसीबत कम करने की दृष्टि से जारी किया बताया जाता है, जो कि हाल की भारी वर्षा के कारण बेघरबार हो गए हैं।

भारत के गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने आज भारत सरकार के पुनर्वास विभाग के सलाहकार श्री मेहरचन्द बत्रा ने दिल्ली के वर्षा-पीड़ित शरणार्थियों की मुसीबतों और उनकी सहायता के लिए अब तक की गई कार्रवाइयों का सारा हाल सुना। उन्होंने ५०० शरणार्थियों को रखने के लिये गवर्मेंट हाउस का कुछ हिस्सा पुनर्वास सचिवालय को सौंप दिया है। पुनर्वास मन्त्री श्री मोहनलाल सक्सेना ने आज श्री मेहरचन्द खन्ना और सुधीर घोष के साथ पूसा रोड की शरणार्थी बस्ती का दौरा किया। वहां के लोगों ने पुनर्वास मन्त्री से कुछ नये बने हुए मकानों के गिर जाने की शिकायत की। उन्होंने यह भी मांग की कि इस मामले की सार्वजनिक जांच की जाये। श्री सक्सेना ने उनको यह कहा बताया जाता है कि उन्होंने महकमा तामीर, खान और बिजली के सामने, जिनके हाथ में इस प्रकार के मकान तामीर कराने का काम है, यह सुझाव रखा है कि शिकायतों की जांच होनी चाहिये। पुनर्वास मन्त्री ने यह भी कहा कि बस्ती के क्षतिग्रस्त मकानों में रहने वालों को अन्यत्र पहुंचाया गया है। **गुटबन्दी के खिलाफ पटेल की पहल-** नई दिल्ली, २४ जुलाई। ज्ञात हुआ है कि आज उप-प्रधानमन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेल के निवास स्थान पर हुई एक गैर-रस्मी बैठक में इस आवश्यकता पर फिर जोर दिया गया कि कांग्रेस में जो वर्ग बन गये हैं उन्हें तुरन्त समाप्त कर दिया जाये। इस बैठक में प्रधानमन्त्री नेहरू, रियासतों के प्रधानमन्त्री गण (उन दिनों मुख्यमंत्रियों को भी प्रधानमंत्री कहा जाता था), कांग्रेस अध्यक्ष डा. पट्टाभि सीतारमैया और कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे।

नौकरी देने-दिलाने की जरूरी कवायद

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

भारत में हर साल करीब 78.5 लाख रोजगार पैदा करने होंगे। नई नौकरियां पैदा करने का यह काम साल 2036 तक, यानी अगले बारह साल तक जरूरी होगा।

बजट से एक दिन पहले आए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि भारत के कॉलेजों से हर साल जो छात्र ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, उनमें से सिर्फ 51.25 प्रतिशत नौजवान ही नौकरी पाने के लायक हैं। इसका मतलब है कि कॉलेज से निकल रहे हर दो में से एक छात्र को नौकरी मिलने की गुंजाइश ही नहीं है। इसी सर्वेक्षण में दूसरा आंकड़ा यह भी था कि अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे तालमेल बैठाने के लिए भारत में हर साल करीब 78.5 लाख रोजगार पैदा करने होंगे। नई नौकरियां पैदा करने का यह काम 2036 तक, यानी अगले बारह साल तक जरूरी होगा। कुल मिलाकर, करीब दस करोड़ नए रोजगार!

बजट में वित्त मंत्री ने अपनी जो नौ प्राथमिकताएं गिनाईं, उनमें पहले नंबर पर खेती थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर रोजगार व कौशल के साथ ही तीसरे नंबर पर भी समावेशी मानव संसाधन था। यानी, रोजगार और नौजवानों पर असर डालने वाले फैसले। वित्त मंत्री ने रोजगार के मोर्चे पर पांच योजनाओं का एलान किया है, जिनसे कुल मिलाकर चार करोड़ दस लाख नौजवानों को फायदा होगा। सरकार इन पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार के मोर्चे पर जो पहला एलान किया, वह है 'एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव', यानी रोजगार पैदा करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र को मदद देगी। इस योजना के तीन हिस्से हैं। पहली योजना है, पहली नौकरी पाने वालों को उनकी एक महीने की तनख्वाह सरकार से मिलेगी। यह राशन और गैस की सब्सिडी की तरह डीबीटी मॉडल पर काम करेगा। इसका मतलब है कि पैसा सीधे इन लोगों के खाते में जाएगा। यह रकम तीन किस्तों में दी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा 15 हजार रुपये ही एक व्यक्ति को मिलेंगे। हालांकि, एक लाख रुपये महीने तक वेतन पाने वाले लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं। अनुमान है कि दो करोड़ दस लाख लोगों को इस योजना से लाभ मिलेगा। इस योजना का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि कर्मचारी ईपीएफओ योजना का सदस्य बने और उसके रिकॉर्ड के मुताबिक, यह उसकी पहली नौकरी हो।

दूसरी योजना खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कारखानों में काम करने वालों के लिए है। इरादा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर (विनिर्माण क्षेत्र) में नए लोगों के लिए ज्यादा रोजगार पैदा हों। वजह शायद यह भी है कि बरसों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह इस मामले में पिछड़ता दिख रहा है। नई योजना के तहत सरकार इस क्षेत्र में नौकरी पाने वाले लोगों और उन्हें नौकरी देने वाली कंपनियों को एक निश्चित दर से पहले चार साल तक उनके ईपीएफओ खाते में योगदान में मदद करेगी। यह योजना भी उन्हीं लोगों पर लागू होगी, जिनकी यह पहली नौकरी है। इससे तीस लाख नौजवानों और उन्हें रोजगार देने वालों को फायदा पहुंचेगा।

तीसरी योजना खासकर रोजगार देने वालों पर नजर रखकर बनाई गई है। किसी भी क्षेत्र या उद्योग में एक लाख रुपये महीने की तनख्वाह तक की नई नौकरी देने वालों को इस योजना में गिना जाएगा। सरकार हर नए कर्मचारी के लिए नियोक्ता के खाते से जाने वाली रकम में से हर महीने तीन हजार रुपये तक उन्हें देगी। स्कीम का फायदा वे दो साल तक ले पाएंगे। अनुमान है, ऐसे पचास लाख नए लोगों को रोजगार मिल पाएगा।

ये तीनों स्कीम जहां एक बड़ा रास्ता खोल रही हैं, वहीं यह एक बड़ी चुनौती की निशानदेही भी कर रही हैं। अभी हाल में मुंबई और सूरत में मुट्ठी भर नौकरियों के लिए जिस तरह हजारों की भीड़ उमड़ी, वह दिखा रहा है कि नौकरी इस देश में कितनी बड़ी नियामत है। यह बात भी लगभग साफ हो चुकी है कि अब सरकारें एक सीमा से ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दे सकतीं। मगर निजी क्षेत्र भी कितनी नौकरियां दे पाएगा, यह सवाल बड़ा होता जा रहा है। अगर निजी क्षेत्र को भी अपने काम के लोग नौकरी पर रखने के लिए सरकार से ही सहारा चाहिए, तो आगे क्या होगा? इसी के साथ सवाल उठा कि लोगों को नौकरी पर रखकर कर्मचारी और कंपनी, दोनों ने सरकार से मदद ले ली और फिर उसकी नौकरी खत्म हो गई, तब क्या होगा? हालांकि, बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी सफाई आ गई और बताया गया कि अगर नौकरी एक साल से पहले खत्म हो गई, तो कंपनी को वह इन्सेंटिव की रकम सरकार को लौटानी पड़ेगी।

जाहिर है, ऐसा तभी होगा, जब कंपनी को नए कर्मचारी काम के नहीं लगेंगे या फिर उन्हें कोई बेहतर काम मिल जाएगा। बेहतर काम के लिए जाना तो अच्छी बात है, मगर दूसरी सूरत पैदा न हो, इसके लिए भी वित्त मंत्री ने बजट में इंतजाम किया है। वह है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की चौथी स्कीम।

इसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र से मिलकर अगले पांच साल में बीस लाख नौजवानों को तरह-तरह के कौशल या स्किल की ट्रेनिंग देने का इंतजाम करेगी। इसके लिए देश भर में एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या आईटीआई उन्नत किए जाएंगे और वहां छात्रों को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी।

यही नहीं, छात्रों को पेशेवर प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च के लिए 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर सरकारी गारंटी भी दी जाएगी। देश में ही पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक का कर्ज सस्ती दरों पर दिया जाएगा। और जो लोग नौकरी की जगह अपना रोजगार करने की राह पर निकल पड़े हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए भी एक बड़ा एलान है। जिन लोगों ने तरुण श्रेणी में मुद्रा लोन लेकर चुका दिया है, उनके लिए नया मुद्रा लोन लेने की सीमा दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख रुपये कर दी गई है।

रोजगार में स्किल या कौशल का संकट दूर करने के लिए एक और बड़ा एलान है, इंटर्नशिप स्कीम। इसके तहत देश की पांच सौ बड़ी कंपनियों में एक करोड़ नौजवानों के लिए इंटर्नशिप का रास्ता खुलेगा। उन्हें हर महीने पांच हजार रुपये का स्टाइपेंड और छह हजार रुपये की एकमुश्त मदद दी जाएगी। कंपनियां इस खर्च का दसवां हिस्सा और ट्रेनिंग पर होने वाला खर्च अपने सीएसआर बजट से ले सकेंगी।

जाहिर है, योजनाएं तो अच्छी हैं, मगर अब चुनौती है इन्हें साकार करने की।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

बच्चों के केक पर बंदूकों और हिंसक छवियों का बोलबाला

क्षमा शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार

पिछले दिनों एक सज्जन ने बच्चों में बढ़ते हिंसक व्यवहार पर लिखा एक लेख पढ़कर मुझे ई-मेल किया। उन्होंने लिखा कि इन दिनों बर्थडे केक पर भी बंदूकों, गोलियों और तमाम हिंसक कार्टून चरित्रों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। उन्होंने एक दुकानदार से इसके बारे में अपना विरोध भी दर्ज कराया कि मासूम बच्चों को आप लोग यह क्या सिखा रहे हैं? उस दुकानदार ने अपनी गलती मानी और कहा कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। निस्संदेह, वह दुकानदार शरीफ आदमी रहा होगा, वरना आजकल लोग अपनी गलती कहां मानते हैं? वे तो अपनी हर गलती का ऊंचे स्वरों में बचाव करते हैं। वह दुकानदार भी यह कह सकता था कि आप अपने काम से काम रखें, मेरे ग्राहकों को जो पसंद आएगा, मैं तो वही करूंगा।

खैर, यह बात कुछ नई-सी थी, क्योंकि जन्मदिन तो खुशी का मौका होता है, उसमें बंदूक, गोलियों या तोपों का क्या काम? हालांकि, यह बात भी है कि शादियों में हर्ष फायरिंग के नाम पर गोलीबारी की जाती है। कई बार इससे लोग मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। एक घटना में तो दूल्हा ही मर गया था। सोचा कि खुद ही जाकर क्यों न देखूं? कई दुकानों पर गई, तो शो केस के अंदर रखे कई केक ऐसे ही मिले। बंदूक और गोलियों के अलावा उन पर मुंह फाड़े किसी का शिकार करने को आतुर शेर, बड़े-बड़े दांतों वाले मगरमच्छ, भयानक डायनासोर और तमाम किस्म के तोपों वाले केक इनमें मौजूद थे। अजीब भी लगा। यह भी सोचा कि ऐसे केक की कितनी मांग है कि वे इतनी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं? जाहिर है, माता-पिता से बच्चों ने ही जिद की होगी कि केक पर क्या बना होना चाहिए और माता-पिता ने दुकानदारों को वही ऑर्डर किया होगा। इसलिए इसमें बच्चों का भी क्या दोष? हालांकि, बंदूक, गोली चलाते टैंक, बंदूक के आकार की पिचकारी आदि अरसे से बच्चों में लोकप्रिय हैं। बहुत सारे ऑनलाइन खेलों में भी ऐसा ही है। यह हाल सिर्फ भारत में नहीं, विदेश में भी है।

> **जब हिंसा समाज में निरंतर बढ़ रही हो, तब जरूरत इस बात की है कि बचपन से ही बच्चों को इससे दूर रहना सिखाया जाए।**

एक बार फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक बड़े मॉल में खिलौनों की दुकान में गई थी। वहां पर अधिकांश खिलौने ऐसे ही थे, लेकिन खिलौनों से बढ़कर ये हिंसक चीजें अब खाने-पीने की वस्तुओं तक आ पहुंची हैं, यह बेहद चिंताजनक है। इन दिनों अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। इनमें बच्चे के तमाम दोस्त और सहपाठी आते हैं। अब किसी केक पर बंदूक बना है, तो जाहिर है कि हर बच्चे का ध्यान उस तरफ जाएगा। मान लीजिए, तीस बच्चों ने ऐसा केक देखा, तो हो सकता है कि वे भी अपने जन्मदिन पर ऐसे ही केक को पसंद करें और ऐसी मांग बढ़ती ही जाए। विशेषज्ञ कहते हैं, अगर बच्चे ज्यादा हिंसक दृश्य देखते हैं, तो वे इसे भी जीवन की जरूरी चीज मान लेते हैं। चिंता की बात यह है कि बच्चों में बढ़ती हिंसा पर रोक के उपाय अक्सर ही नहीं किए जाते हैं।

कुछ ही दिनों पहले की अमेरिका की एक घटना है। वहां पांच साल के बच्चे की अपने छोटे भाई से लड़ाई हो गई। पांच साल का बच्चा रसोई में गया, वहां से चाकू उठाकर लाया और अपने छोटे भाई को मार दिया। आखिर इतने छोटे बच्चे को यह कैसे पता चला कि चाकू मारकर वह अपने छोटे भाई से लड़ाई का बदला ले सकता है? जरूर उसने ऐसा कहीं देखा होगा और उसने उसकी नकल की होगी। वैसे भी, यह कहा ही जाता है कि पश्चिम के कुछ देशों में छोटे-छोटे बच्चे अपने बस्ते में हथियार लेकर जाते हैं और जरा-सी बात पर गोली चला देते हैं।

जब हिंसा समाज में चौतरफा बढ़ रही हो, तब जरूरत इस बात की है कि बचपन से ही बच्चों को हिंसा से दूर रहना सिखाया जाए। न तो ऐसे खेल-खिलौने उन्हें दिए जाएं, और न ही खाने-पीने की चीजों पर किसी तरह की हिंसा का चित्रण हो। सरकारों का ध्यान इन बातों पर क्यों नहीं जाता है? यह काम सिर्फ स्वयंसेवी संस्थाओं के भरोसे ही क्यों छोड़ दिया गया है कि वे माता-पिता और अभिभावकों को इस बारे में शिक्षित करें या मीडिया में इसके खतरे बताएं। माता-पिता भी इस बात पर ध्यान दें कि यदि बच्चे छुटपन से बंदूकों से खेलेंगे, उन्हें देखकर अपना जन्मदिन मनाएंगे, तो हो सकता है कि उनका सबसे पहला प्रयोग वे अपने आसपास ही करें, जैसा उस पांच साल के अमेरिकी बच्चे ने किया।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सिर पर न सवार करें रोग

इस धरती पर करोड़ों लोग आज अपनी या अपने मित्रों व परिजनों की शारीरिक सेहत को लेकर भय और अनिश्चय के शिकार हैं। महामारी के बाद का यह एक अभूतपूर्व समय है और जितना संभव हो सके, हमारा सचेत रहना बहुत जरूरी है। याद रखें, मानव अहंकार को- व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों स्तरों पर नाटकीयता खूब पसंद है, जो ऐसे समय में खूब पैदा हो सकती है। हमारी चुनौती निरंतर सतर्क और तत्पर रहने की है, ताकि हम अहंकारी प्रतिक्रिया में न पड़ें, जिसके पहले ही काफी लोग शिकार हो चुके हैं।

हम सब जानते हैं कि शारीरिक व्याधियों से कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और एक ही बीमारी के कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं। कई बार लोग खुद से पूछते हैं कि मुझे यह बीमारी क्यों हुई? फिर वे एक ऐसी कथा जोड़कर स्थिति को जटिल बना देते हैं, जिसका वर्तमान की वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। यह स्थिति बहुत समस्यात्मक बन सकती है।

हमारा भौतिक शरीर हमेशा हर प्रकार के प्रभावों के प्रति संवेदनशील रहता है। यदि इसके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह बात दोगुनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप खुद का मूल्यांकन न करें या यह न कहें कि यह सब मेरी गलती का नतीजा है। यदि आप बीमार हैं, चाहे वह बीमारी कोई भी हो, तो उससे निपटने का सबसे प्रभावी तरीका जो आप अपना सकते हैं, वह है समर्पण करना। समर्पण, यानी उसे स्वीकार करना। स्वीकृति उपचार की शुरुआत है। उपचार का आधार है इस क्षण को वैसे ही स्वीकार करना, जैसे यह है।

आप कभी भी बीमारी के विचार के आगे समर्पण नहीं करते। आप यह नहीं कहते कि 'मुझे इस सच के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए कि मेरी स्थिति लाइलाज है।' आप सिर्फ वर्तमान क्षण के आगे समर्पण करते हैं, यानी वर्तमान में शरीर जो भी प्रकट कर रहा होता है। यही तो आप स्वीकार करते हैं। उस तरह के समर्पण के साथ पारलौकिक आयाम में एक द्वार खुलता है और वहां से अभिव्यक्ति की शक्ति आती है।

इसलिए, यदि आपको कोई बीमारी हो जाती है, तो आप उससे इनकार न करें, मगर आप बीमारी की अवधारणा पर भी ध्यान न दें और न ही इसके इर्द-गिर्द अपनी पहचान बनाएं। याद रखें, पहचान की बेहतर समझ के लिए अहंकार किसी भी चीज का उपयोग करेगा और यह खुशी से या नाखुशी से बीमारी के विचार का उपयोग करेगा। तब यह आपकी खुद की भावना में शामिल हो सकता है, खासकर यदि कोई लंबी बीमारी है। शरीर वैसा ही है, जैसा अभी है। भौतिक शरीर वह नहीं है, जो आप हैं। आपका सच्चा सार तो कालातीत और निराकार है।

> **यदि आपके शरीर के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह बात दोगुनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप खुद का मूल्यांकन न करें या यह न कहें कि यह सब मेरी गलती का नतीजा है।**

एक्हार्ट टल्ल

सचिन तेंदुलकर | क्रिकेटर

ओलंपिक खेल शुरू हो रहे हैं। मैं सभी प्रशिक्षकों को उनके समर्पण और प्रेरणा के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। राष्ट्र आपके योगदान के लिए हृदय से आभारी है। पेरिस ओलंपिक में शामिल सभी कोच और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं!

हर तबके पर रही वित्त मंत्री की नजर

इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार-उन्मुख बजट पेश किया है, जो देश की युवा-शक्ति के लिए अत्यावश्यक था। नौजवानों के लिए इंटर्नशिप योजना एक अच्छी सोच है। इससे कौशल-विकास हो सकेगा और वे कहीं अधिक दक्ष बन सकेंगे। बजट में कृषि क्षेत्र को भी अच्छा महत्व दिया गया है। देश की बढ़ती खाद्य जरूरतों को देखते हुए प्राकृतिक खेती पर जो अधिक जोर दिया गया है, वह भी स्वागतयोग्य है। अब ऐसी फसलों को लेकर ज्यादा शोध होने चाहिए, जो मानव स्वास्थ्य के अधिक अनुकूल हों और देश में उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सके। नौकरीपेशा वर्ग को नई कर व्यवस्था में दी गई राहत भी उचित है। अब वार्षिक 7.75 लाख रुपये की आमदनी तक कोई कर नहीं देना होगा, जिससे कम आय वाले लोगों को फायदा होगा। अगर इसी तरह की कुछ राहत व्यापारी वर्ग को भी मिल जाती, तो सोने पर सुहागा जैसा होता। वरिष्ठ नागरिकों को भी मुफ्त चिकित्सा की राहत मिलनी चाहिए थी। बहरहाल, चांदी-सोने पर ड्यूटी घटाना महत्वपूर्ण है। दालों, खाद्य तेलों और पेट्रोलियम पदार्थों पर भी इसी तरह ड्यूटी कम कर दी जाती, तो आम लोगों को कहीं ज्यादा फायदा होता। कुल मिलाकर, एक अच्छा बजट वित्त मंत्री ने पेश किया। हां, कुछ प्रावधानों का विस्तार अन्य वर्गों के लिए भी किया जाता, तो यह और बेहतर होता।

सुभाष बुडावन वाला, टिप्पणीकार

अपने लक्ष्य में हिट

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 2047 की मजबूत नींव रख रहा है, जब भारत खुद को विकसित कह सकने में सक्षम हो सकता है। वित्त मंत्री का फोकस उचित ही शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा है। इसके अलावा, नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर भी उन्होंने मेहरबानी दिखाई, जो जरूरी भी था। इस बजट में गरीबों, युवाओं, स्त्रियों और किसानों की भलाई पर ध्यान दिया गया है और सबको आगे बढ़ाने का जज्बा दिख रहा है। इसके अलावा, इसमें जो अन्य अच्छी बात है, उसमें सबसे पहला है, टीडीएस जमा करने में होने वाली देरी को अपराध मुक्त कर देना। एक करोड़ नौजवानों को एक वर्ष के लिए इंटर्नशिप और 5,000 रुपये स्टाइपेंड देने की बात भी बजट में कही गई है, जो तारीफ के योग्य है। स्पष्ट है, 2024 का यह पूर्ण बजट सबकी उम्मीदों पर फिट है और विकसित भारत के सपने को मजबूत करने को तत्पर है। इसमें कई तरह की सौगातों की बौछार है, जिसका फायदा देश के हरेक वर्ग को मिलेगा।

किशन भावनानी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

आम बजट

मध्यवर्ग को मायूस करने वाला बजट

कुछ लोग भले इस बजट की खूब तारीफ कर रहे हों, लेकिन विशेष तौर पर मध्यवर्ग को इसमें बहुत उम्मीद नहीं दिख रही है। इसमें निस्संदेह किसानों, नौजवानों और महिलाओं के लिए काफी कुछ है। बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को भी खूब महत्व दिया गया है। मगर मध्यवर्ग, जिसके टैक्स से देश की अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिलती है, वह खाली हाथ नजर आ रहा है। नई कर व्यवस्था में जरूर कुछ हद तक राहत दी गई है (हालांकि, वह भी उम्मीद से काफी कम है), लेकिन नई कर व्यवस्था आखिर कितने लोग अपना रहे हैं? पुरानी व्यवस्था मुक्कमल है और उसमें बदलाव की कोई ठोस वजह नहीं थी। फिर भी नई कर व्यवस्था लाई गई और अब बजट में उसी पर जोर दिया जा रहा है। अच्छा होता कि पुराने कर ढांचे में भी करदाताओं को कुछ राहत देने की बात की जाती। कुछ नहीं, तो 80-सी में छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती थी। 80-सी के तहत करदाता डेढ़ लाख रुपये तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं। सरकार चाहती, तो इसे बढ़ाकर तीन लाख तक कर सकती थी। इसी तरह, सोना-चांदी पर तो शुल्क कम कर दिया गया है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों पर बात नहीं की गई, जबकि पेट्रोल-डीजल की महंगाई से हर नौकरीपेशा जूझता रहता है। मतलब साफ है, हर बार की तरह इस बार भी मध्यवर्ग बजट से मायूस है। उसके लिए अब भी अच्छे दिन नहीं आ सके हैं।

दीप्ति, टिप्पणीकार

कुछ खट्टा, कुछ मीठा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट कुछ लोगों के लिए मीठा है, तो कुछ के लिए खट्टा। बेशक, नई कर व्यवस्था के अंतर्गत करदाताओं को कुछ राहत दी गई है, मोबाइल और आयातित सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट की संभावना है, और बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश करने की कोशिश की गई है, लेकिन आम बजट में दवाइयों पर आम लोगों के होने वाले खर्च को कम करने पर ध्यान नहीं दिया गया है। संभावना यह थी कि सरकार घरेलू महिलाओं को खुश करने के लिए उनके आयकर दायित्व में कुछ छूट दे सकती है, लेकिन यह भी नहीं किया गया। बुजुर्गों को रेल यात्राओं में मिल रही छूट, जो कोरोना के समय खत्म कर दी गई थी, उसे बहाल करने पर कोई बात नहीं की गई। उम्मीद तो यह भी थी कि आम जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा को लेकर भी सरकार कुछ ठोस प्रयास करेगी। कुछ नहीं, तो उनके हक में बीमा के प्रीमियम को घटाने की कोशिश की जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी इस बजट में नहीं हुआ है, यानी यह एक मिला-जुला बजट ही है।

प्रमोद अग्रवाल गोल्डी, टिप्पणीकार

कल्पमेधा

किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान कर विनम्र बनने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज की पूजा तब तक नहीं करनी चाहिए, जब तक तर्क को विश्वास न हो जाए कि वह पूजनीय है।
- वाल्तेयर

असंतोष का आबंटन

हर बजटीय प्रावधान के पक्ष और विपक्ष में तर्क होते ही हैं। अक्सर विपक्ष उसकी खामियों को लेकर हमलावर नजर आता है। मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं कि इसे सामान्य सिद्धांत मान कर सरकार बजटीय पक्षपात या असंतुलित प्रावधानों को सही ठहरा सकती है। इस बार के बजट को लेकर विपक्ष शुरू से ही हमलावर है। बुधवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने बाहर प्रदर्शन किया। चर्चा के दौरान दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। प्रश्नकाल में विपक्ष ने राज्यसभा से बहिर्गमन किया। विपक्ष की सबसे अधिक आपत्ति बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष आबंटन को लेकर है। उसका कहना है कि बाकी राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। इसलिए कि सरकार को गठबंधन कायम रखने के लिए जद (एकी) और तेदेपा को खुश रखना बहुत जरूरी है। इस पक्षपातपूर्ण आबंटन से नब्बे फीसद देश बजट में गायब है। मगर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके जवाब में कहा कि सभी राज्यों को कुछ न कुछ दिया गया है, उनका उल्लेख भले बजट में अलग से नहीं किया गया। हालांकि बजट में विशेष रूप से किसानों, महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, मगर उनके लिए भी बजटीय प्रावधान को विपक्ष संतोषजनक नहीं मान रहा।

राजग सरकार के दो कार्यकाल निर्विघ्न रहे, उनमें विपक्ष एक तरह से गायब था, इसलिए बजट पर अपेक्षित बहसें नहीं हो पाती थीं। मगर इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में है और सरकार उसकी आलोचना से बच नहीं सकती। अभी बजट पर चर्चा के दौरान और भी अनेक बातें रेखांकित होंगी। मगर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बजट पर गठबंधन के सहयोगी दलों का दबाव साफ नजर आता है। बिहार और आंध्र प्रदेश की जद (एक) और तेदेपा की राज्य सरकारें शुरू से विशेष दर्जे की मांग उठाती रही हैं। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे थे कि अगर उन्हें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो दोनों दल केंद्र सरकार का साथ छोड़ सकते हैं। मगर केंद्र ने उन्हें विशेष राज्य का दर्जा देने से साफ मना कर दिया। फिर बजट में उन्हें भारी-भरकम विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया। इन दोनों राज्यों को बांट कर जब दो नए राज्य झारखंड और तेलंगाना बने, तो केंद्र ने इन्हें विशेष दर्जा देने का आश्वासन दिया था, मगर वह पूरा नहीं हो सका। इस लिहाज से इनकी दावेदारी वाजिब थी, मगर इसका यह अर्थ नहीं कि बाकी राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी है और वे अपने दम पर विकास कर सकते हैं।

केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह सभी राज्यों को समान रूप से तरक्की के अवसर उपलब्ध कराए। हर राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि की सुविधाएं सृजित करे। मगर अक्सर देखा गया है कि केंद्र की हर सरकार राज्यों के लिए वित्तीय आबंटन में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है। इसी के चलते अक्सर असंतोष और विरोध का स्वर उभरता है। केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थितियां बनती देखी जाती हैं। ठीक है कि इस वक्त राजग के सामने केंद्र में स्थायित्व का संकट है, इसलिए वह अपने दो बड़े सहयोगी दलों की मांगों की अनदेखी नहीं कर सकता। मगर संतुलन की अपेक्षा तो उससे की ही जाती है। अगर कुछ राज्यों और वर्गों की वास्तविक जरूरतों को नजरअंदाज कर केवल अपने पक्ष के वर्गों और राज्यों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं तो इससे देश का संतुलित विकास संभव नहीं हो पाता।

शुचिता पर सवाल

प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पर्चाफोड़ के मामले उजागर होने से स्वाभाविक ही परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं पर सवाल उठते हैं। खासकर राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए की ओर से कराई जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) में पर्चाफोड़ से देश के लाखों विद्यार्थियों के विश्वास को धक्का पहुंचा है। परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित भी हैं। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 लागू किया है, जिसकी अधिसूचना पिछले माह जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी और पर्चाफोड़ पर अंकुश लगाने के लिए हाल में नया कानून बनाया है। अब बिहार सरकार ने भी प्रदेश लोक परीक्षा (पीई) अनुचित साधन निवारण विधेयक, 2024 विधानसभा में पारित किया है। दरअसल, बिहार सरकार ने इसकी तात्कालिक जरूरत इसलिए समझी, क्योंकि नीट-यूजी पर्चाफोड़ मामले के तार वहां से भी जुड़े हैं। कुछ अन्य राज्य भी इस तरह का कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से बनाए गए कानूनों में परीक्षा में गड़बड़ी और पर्चाफोड़ के दोषियों को सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। मगर, सवाल है कि क्या हर राज्य में अलग-अलग कानून बना देने से ऐसे मामलों पर अंकुश लग पाएगा? नीट-यूजी पर्चाफोड़ के मामले में केंद्र सरकार ने कुछ तात्कालिक कदम उठाए हैं। नया कानून लागू करने के साथ ही इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। मगर, क्या ये कदम छात्रों और अभिभावकों की परेशानी दूर करने के लिए काफी हैं? यह कवायद मात्र रोग के लक्षणों का उपचार करना है। मूल समस्या कहीं अधिक गहरी है और इसकी जड़ों पर प्रहार करने की जरूरत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कुशल प्रतिभाओं का चयन जरूरी है और यह तभी संभव होगा, जब इन परीक्षाओं की शुचिता कायम रखी जाएगी। हर महत्त्वपूर्ण संस्थान और एजंसी के कार्य तभी उत्तम स्तर के होंगे, जब सुयोग्य व्यक्तियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही, परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने संबंधी कानूनों पर कड़ाई से अमल सुनिश्चित करना जरूरी है।

विकास और बजट की वचनबद्धता

सरकार को विकसित भारत की ओर बढ़ना है, साथ ही बेरोजगारी, गरीबी, कृषि की बदहाली सहित अनेक सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के मध्य सियासत की मजबूरियों से भी निपटना है।

सत्येंद्र किशोर मिश्र

आर्थिक समीक्षा में बजट की प्राथमिकताएं स्पष्ट थीं। तीव्र आर्थिक विकास जरूरी है, पर रोजगार सृजन, कौशल विकास, कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां, क्षेत्रीय संतुलन, आधारभूत संरचना, विनिर्माण क्षेत्र में संभावना, निम्न मध्यवर्ग को राहत तथा समावेशी विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को दिशा देंगे। केंद्रीय बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, रोजगार और कौशल विकास, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, नगरीय विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार और अनुसंधान, साथ ही अगली पीढ़ी के सुधार को प्राथमिकता देने की कोशिश है। सरकार को विकसित भारत की ओर बढ़ना है, साथ ही बेरोजगारी, गरीबी, कृषि की बदहाली सहित अनेक सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के मध्य सियासत की मजबूरियों से भी निपटना है।

कृषि क्षेत्र का उत्पादन आजीविका, रोजगार सृजन की क्षमता के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। बजट में कृषि में बदलाव, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास हेतु कृषि अनुसंधान व्यवस्था की समीक्षा प्रस्तावित है। बत्तीस कृषि और बागवानी फसलों की एक सौ नौ उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल नई किस्में किसानों को उपलब्ध कराई जाएंगी। दलहन तथा तिलहन के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण तथा विपणन व्यवस्था में सुधार कर भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है। बजट में सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला संग्रहण, भंडारण और विपणन, सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे। अगले दो वर्षों में देश के एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। कृषि अनुसंधान, डिजिटल सर्वेक्षण तथा सहकारिता के लिए भी प्रयास होंगे। सहकारी क्षेत्र का व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास, दस हजार आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना तथा 'नाबार्ड' के माध्यम से वित्तपोषित झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात प्रस्तावित है। तीन वर्षों में देश के चार सौ जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण का प्रस्ताव है।

बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास हेतु 1.48 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा तथा कौशल विकास में समन्वय हेतु प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत शिक्षा तथा रोजगार की पांच नई योजनाओं में 4.1 करोड़ युवाओं के रोजगार तथा कौशल विकास हेतु दो लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। रोजगार प्रोत्साहन हेतु ईपीएफओ नामांकन आधारित तीन योजनाएं हैं, जो औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी के कार्यबल में प्रवेश पर एक माह का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए तीन किस्तों में दिया जाएगा, इससे 2.10 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को शुरुआती चार वर्षों में उनके ईपीएफओ अंशदान के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहित किया जाएगा, इससे तीस लाख युवा लाभान्वित होंगे। प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के ईपीएफओ अंशदान के लिए नियोक्ताओं को दो वर्षों के लिए प्रतिमाह तीन हजार रुपए तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी, इससे पचास लाख नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं के लिए पांच सौ शीर्ष कंपनियों में प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

पहली बार आर्थिक अवसरों के सृजन हेतु बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओड़ीशा और आंध्र प्रदेश के लिए 'पूर्वोदय' योजना प्रस्तावित है। महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं में लगभग तीन लाख करोड़ रुपए का आबंटन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम अनुसूचित जनजाति उन्नति अभियान के तहत तिरसठ हजार गांवों की लगभग पांच करोड़ जनजाति आबादी की स्थिति सुधरेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 'इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक' की सौ से अधिक शाखाएं स्थापित होंगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा, विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे पर कोप्पार्थी नोड और हैदराबाद-बंगलुरु औद्योगिक गलियारे पर ओर्वाकल नोड में पानी, बिजली, रेल और सड़क जैसे आवश्यक आधारभूत ढांचे का विकास होगा।

> दरअसल, बजट विकसित भारत की प्रतिबद्धता तथा संकल्प को पूरा करने के लिए 'विकास भी विरासत भी' के मंत्र के साथ सक्षम विनिर्माण और आधारभूत संरचना, समावेशी एवं सतत विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार के जरिए मौजूदा सियासी माहौल को एनडीए सरकार द्वारा साधने की कोशिश है। समय बताएगा कि बजट किसान, युवा, महिला तथा गरीब की बेहतरी के साथ विकसित भारत की ओर बढ़ने में कितना कामयाब हो सकेगा।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत बारह औद्योगिक पार्क, 'पीपीपी मोड' में औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास प्रकार के आवास और किराए के आवास का प्रस्ताव है। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना प्रस्तावित है। मुद्रा ऋण की सीमा दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख रुपए की जाएगी, जिससे युवा, स्वरोजगार को प्रेरित होगा। 'सिडबी' की नई शाखाएं स्थापित होने तथा विनियमाक बदलाव से एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगरीय एक करोड़ निर्धन परिवारों के आवास हेतु दस लाख करोड़ रुपए आबंटन के साथ-साथ सौ बड़े शहरों में जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देकर नगरीय विकास को एक नया आयाम देने का प्रयत्न है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत चुनिंदा शहरों में सौ साप्ताहिक 'हाट' या 'स्ट्रीट फूड हब' के विकास का प्रस्ताव है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत एक करोड़ घरों में तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। साठ क्लस्टरों में ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा, जो अगले चरण में सौ क्लस्टरों तक विस्तारित होगी।

आधारभूत ढांचे पर जीडीपी के 3.4 फीसद के साथ राज्यों को मुक्त ऋण दीर्घकालिक ब्याज 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र को आधारभूत ढांचे के विकास में साझीदार बनाने का प्रस्ताव है। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत पच्चीस हजार ग्रामीण बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य है। सिंचाई परियोजनाओं की सहायता से बाढ़ से निपटने हेतु कोसी-मेची अंतरराज्यीय लिंक और बीस अन्य 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता; असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता; हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता; विष्णुपाद मंदिर तथा महाबोधि मंदिर गलियारे का विकास; धार्मिक महत्त्व के राजगीर के लिए व्यापक विकास पहल की जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली स्वरूप को पुनर्जीवित कर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बेहतरीन पर्यटन केंद्र बनाने हेतु ओड़ीशा के प्राकृतिक सौंदर्य, मंदिरों, स्मारकों, शिल्पकला, वन्यजीव अभयारण्यों, प्राकृतिक परिदृश्यों और समुद्र तटों के विकास हेतु सहायता का प्रस्ताव है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के आगामी दस वर्षों में पांच गुना विस्तार के लिए एक हजार करोड़ रुपए के 'वेंचर कैपिटल' का प्रस्ताव है।

अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों में भूमि, श्रम, पूंजी तथा तकनीक के क्षेत्र में सुधार कर विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ने का प्रस्ताव है। एफडीआइ को सुविधाजनक बनाने और विदेशी निवेश के लिए मुद्रा के रूप में भारतीय रुपए के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। दरअसल, बजट विकसित भारत की प्रतिबद्धता तथा संकल्प को पूरा करने के लिए 'विकास भी विरासत भी' के मंत्र के साथ सक्षम विनिर्माण और आधारभूत संरचना, समावेशी एवं सतत विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार के जरिए मौजूदा सियासी माहौल को एनडीए सरकार द्वारा साधने की कोशिश है। समय बताएगा कि बजट किसान, युवा, महिला तथा गरीब की बेहतरी के साथ विकसित भारत की ओर बढ़ने में कितना कामयाब हो सकेगा।

दुनिया मेरे आगे

सेहत का साथ

प्रभात कुमार

एक बार मिली जिंदगी में जाहिर है शरीर भी एक बार ही मिलता है। शरीर ही इंसान के अंत तक साथ उसका देता है। जो दुर्लभ और महासदुपयोगी वस्तु एक बार ही मिली हो, उसे बेइंतहा प्यार करना चाहिए। बच्चों के शरीर की देखभाल का जिम्मा अभिभावकों का होता है। वे अपनी आर्थिक व्यवस्था के सांचे में ही नहीं, पारिवारिक आदतों के खांचों में बच्चों की देखभाल कर पाते हैं। बच्चे अभिभावकों से प्रेरणा लेकर दूसरे बच्चों की सोहबत में पड़ोस और स्कूल की खेलकूद गतिविधियों में सक्रिय होकर शारीरिक देखभाल करने लगते हैं। इसमें पैदल चलना, साइकिल चलाना और अनेक बाहरी खेल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे बच्चे चुस्त और व्यस्त रहते हैं, लेकिन ऐसा कम परिवारों में हो पाता है। भले ही अड़ोस-पड़ोस में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हों तो भी शारीरिक देखभाल के प्रति ज्यादातर परिवारों में उदासीनता रहती है।

कई बार शादी से पहले कोई व्यक्ति दुबला होता है। आमतौर पर यह महिलाओं के मामले में देखा जाता है। मगर शादी के बाद रहन-सहन और खानपान बदलने की वजह से इस स्थिति में बदलाव आ सकता है। दरअसल, शादी से पहले जीवन का जो प्रारूप अपनाया गया होता है, वह ससुराल के नए माहौल, पति की आदतों के मुताबिक दिनचर्या बदलने, नई जगह के जलवायु आदि के कारण बदलता है। सूझबूझ से समन्वय स्थापित कर लिया जाए तो अपने तन को व्यवस्थित रखा जा सकता है। अपने शरीर को रोका जा सकता है।

यह ठीक है कि अनेक मामलों में आनुवांशिक जीन्स हमारे शरीर को संभालने या बीमार करने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिनमें से मोटापा शरीर ही नहीं, जिंदगी को भी परेशान करता है। कई बीमारियों का कारण बनता है। फिर चाहे कुछ कर लिया जाए, जितनी मर्जी ताकत की गोलियां खा ली जाएं, सूप या जूस पी लिया जाए, मोटापा अधिकांश जिंदगियों से वापस नहीं जाता। यह बात दीगर है कि सेहत की दुनिया के कारोबारियों ने मोटापा कम करने के नाम पर करोड़ों का उद्योग चला रखा है, लेकिन स्वस्थ, पतला होना आसान नहीं है। शरीर रूपी प्राकृतिक वृक्ष पर मोटापे की सख्त बेलें लिपट जाएं तो कष्टदायी साबित होती हैं।

सामान्य परिवारों में जिन महिलाओं को घर का कामकाज संभालना पड़ता है, वे पति, बच्चों यहां तक कि सास-ससुर का भी ध्यान रखती हैं और आमतौर पर अपने शरीर की बिल्कुल परवाह नहीं करतीं। उनके शरीर में धीरे-धीरे बीमारियां घर करती जाती हैं। दवाइयां स्वस्थ रहने का सहारा बनती चली जाती हैं। कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि समय नहीं मिलता, लेकिन हममें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जिनके पास टीवी पर चल रहे कार्यक्रम देखने का समय होता है। इसी तरह स्मार्टफोन पर रील या अन्य सामग्री देखना अब एक जरूरी काम मान लिया गया है। फोन पर बतियाने की फुर्सत खूब होती है। अगर संजीदा सलाह दी जाए कि सुबह कुछ देर सैर कर लिया करें, दौड़ लिया करें तो ऐसी बातें उन्हें फालतू बात लगती हैं।

अनेक लोगों को लगता है कि स्वस्थ और आकर्षक शरीर के लिए जिम जाकर व्यायाम करना जरूरी है। उसी हिसाब से पोशाक, विशेषकर विदेशी पोशाकें और उपकरण उन्हें खूब आकर्षित करते हैं। जिम में व्यायाम करने वालों से इस बात को लेकर ईर्ष्या होती है कि वे अपनी सेहत और शरीर को लेकर कितने सजग हैं। मगर सिर्फ जलन से क्या हो पाता है। कुछ घरों में उपकरण आ जाते हैं, लेकिन कुछ दिन प्रयोग करने से शरीर में कुछ बदलाव नहीं आ पाता, क्योंकि मोटापा या फिर कहा जाए कि शरीर का बिगड़ता अनुपात ठीक करने के लिए ठोस व्यायाम, नियंत्रित खानपान और ज्यादा समय जरूरी होता है। हम बेचैन लोग एक सप्ताह में ही पतला, आकर्षक, सुगठित शरीर वापस चाहते हैं जो सिर्फ फिल्मों में संभव हो सकता है। नतीजन, उपकरण घर के किसी कोने में उदास खड़ा रह जाता है।

दरअसल, जिम में व्यायाम करने की शैली के लाभ तो बताए जाते हैं, मगर एक तरह से उसे अप्राकृतिक भी कहा जा सकता है। कुदरत को हमने जीभर कर नुकसान पहुंचाया और शारीरिक व्यायाम के लिए प्राकृतिक और बिल्कुल मुफ्त तरीके भी पसंद नहीं करते। इस संदर्भ में भोजन की खास भूमिका है। विशेष कर परिवर्तित किए हुए खाने का। दुनिया में हैरान कर देने वाले नकली स्वाद हाजिर हो चुके हैं। जीभ को अलग-अलग स्वादों के पीछे भागने की आदत लग चुकी है। यहां फिर साबित होता है कि हम अपने शरीर से प्यार नहीं करते, बल्कि शरीर से लाभ उठाना चाहते हैं, उसी तरह जैसे किसी स्वादिष्ट, मनपसंद मिठाई या खाद्य से। हम लापरवाही तब मानते हैं, जब डाक्टर के पास पहुंचने की नौबत आती है। तब दिमाग सोचता है कि काश खानपान का ध्यान रखा होता, उचित व्यायाम किया होता। अनेक मामलों में खासी देर हो चुकी होती है।

जिंदगी में जो होना है, वह होता है। इस तरह की सोच भी हमें अपने प्रति उदास, असक्रिय, लापरवाह हो जाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही बढ़ती सुविधाओं ने भी जिंदगी को नुकसान पहुंचाया है। कम सुविधाओं में शरीर बेहतर संयमित रहता है। सहनशक्ति बढ़ती है। शरीर को मेहनत का जितना प्रसाद खिलाते रहा जाए, शरीर उतना ही अनुशासित रहता है। शरीर को प्यार करने का मतलब आरामतलब बनना, नकली प्रसाधनों से सजाना, सभी कुछ खाना-पीना नहीं है।

> कुदरत को हमने जीभर कर नुकसान पहुंचाया और व्यायाम के लिए प्राकृतिक और बिल्कुल मुफ्त तरीके भी पसंद नहीं करते। भोजन की खास भूमिका है। दुनिया में हैरान कर देने वाले नकली स्वाद हाजिर हो चुके हैं। जीभ को अलग-अलग स्वादों के पीछे भागने की आदत लग चुकी है।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

बुजुर्गों का सहारा

पुरानी पेंशन योजना द्वारा वृद्धावस्था के दौरान उस समय वित्तीय सुरक्षा और स्थायित्व दिया जाता है, जब लोगों के पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता है। सेवा निवृत्ति योजना द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि लोगों के पास प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने और अपनी उम्र के बढ़ते वर्षों में अपना जीवन स्तर किसी समझौते के बिना अच्छा बनाए रखने की सुविधा हो। पेंशन योजना से लोगों को निवेश करने और अपनी बचत संचित करने का अवसर मिलता है, जो सेवानिवृत्ति के समय वार्षिक योजना के रूप में एक नियमित आय के तौर पर उन्हें एकमुश्त राशि दे सके। यही वजह है कि पेंशन को मुफ्त की रेवड़ी मानने को अनुचित बताया जाता है। गौरतलब है कि एक व्यक्ति अगर विधायक, सांसद और राज्यसभा का सांसद समय-समय पर चुना जाता है तो वह तीनों जगहों से पेंशन लेने का पात्र बन जाता है। दिलचस्प है कि पक्ष-विपक्ष आमतौर पर किसी भी विषय पर हंगामा करते नजर आते हैं, पर अपनी वेतन वृद्धि का निर्णय लेते समय दोनों पक्षों में जबरदस्त एकता देखी जाती है। नई पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत अवकाश ग्रहण करने के बाद कर्मचारियों का बुढ़ापा असुरक्षित रहता है।

– ***युगल किशोर राही, छपरा, बिहार***

खतरे का प्रवाह

बरसात के साथ ही नहरों और नदियों में जल का स्तर बढ़ गया है और धारा प्रवाह तेज हो गई है। नहाते हुए बच्चों के डूबने की खबरें लगातार मिलती रहती है। चंचल मन और अबोध प्रवृत्ति के कारण बच्चे एक दूसरे की संगत में नदी का रुख कर लेते हैं। वहां जाकर नदी में स्नान करने की ललक, किनारे में खड़े होने से पैर फिसलने के कारण जल का तेज प्रवाह अपने आवेश में बच्चों को ले लेता है और बच्चे डूब जाते हैं। ऐसे समय में माता-पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को खेलने-कूदने के लिए छोड़ें, तो ध्यान रखें। विद्यालय प्रबंधन को भी इस पर अवश्य ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे स्कूल परिसर में ही रहें। प्रशासन को भी चाहिए कि बाढ़ वाले इलाके और दुर्घटना के लिहाज से जोखिम वाले नदी किनारे बचावकर्मियों की टीम, एम्बुलेंस और दुर्घटना से बचाव के लिए व्यवस्था हो। इस तरह के सहयोग से समय रहते किसी का बच्चा मौत के मुंह में जाने से बच सकता है।

– ***तारामुनी देवी, लालगंज, वैशाली***

कानून का कठघरा

'गरिमा बनाम गुनाह' (संपादकीय, 22 जुलाई) दर्दनाक और विचारणीय है। देश में राज्यपाल जैसे महत्त्वपूर्ण और सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न के आरोप ही अत्यंत शर्मनाक और अप्रत्याशित हैं। राज्यपाल को कानूनी संरक्षण का प्रश्न तो बाद में खड़ा होता है, सबसे पहले तो 'शून्य सहनशीलता' की नीति के अनुसार कानून को अपना काम करना चाहिए। आरोपों के तहत संबंधित पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करके देश की सामान्य न्याय व्यवस्था में बराबरी के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की क्या यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उनका आचरण भी उनके पद के अनुसार आदर्श और उत्कृष्ट हो? अपने पद को धूमिल करने वाले राज्यपालों को अपने पद की गरिमा के प्रति सचेत करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी साधारण राजनेता को राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है।

– ***इशरत अली कादरी, भोपाल***

राजनीति में युवा

राजनीति हमारे समाज का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए यह आवश्यक है कि युवा पीढ़ी, विशेष रूप से विद्यार्थी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लें और अपना योगदान दें। राजनीति में भागीदारी विद्यार्थियों को समाज के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों से अवगत कराती है। विद्यार्थी गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय बना सकते हैं। यह उन्हें इन समस्याओं के समाधान के लिए नए विचार और दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से विद्यार्थियों में नेतृत्व कौशल विकसित होता है। हालांकि उन्हें राजनीति में शामिल होते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक गतिविधियां उनकी पढ़ाई में बाधा न बनें। उन्हें हमेशा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों का पालन करना चाहिए।

– ***चंदन कुमार नाथ, बरपेटा, असम***

www.readwhere.com

नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। गुरुवार, 25 जुलाई 2024

क्लीन चिट नहीं

इस साल की NEET-UG परीक्षाओं पर मंगलवार को आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहली नजर में राहत देने वाला है। फैसले ने इन परीक्षाओं को लेकर पिछले कुछ समय से बनी अनिश्चितताओं को दूर किया है। हालांकि इस प्रकरण से सामने आए कई बड़े सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं।

AI Image

NEET-UG : सुप्रीम फैसला

परीक्षा की प्रामाणिकता | सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दो बातें पहले ही साफ कर दी थीं। एक तो यह कि परीक्षाएं दोबारा करवाने का फैसला आखिरी विकल्प होगा। दूसरी बात यह कि अगर उसे ऐसा लगा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है तो वह इसे कैंसल करने से नहीं हिचकेगा। उसके फैसले में इन दोनों ही कारकों का प्रभाव दिखता है।

व्यवस्थागत नाकामी नहीं | सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों ने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। लेकिन कोर्ट को इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि जितने तथ्य सामने आए हैं उनके आधार पर इन गड़बड़ियों को व्यवस्थागत नाकामी का परिणाम नहीं कहा जा सकता। ऐसे में परीक्षा कैंसल कर मेडिकल कॉलजों का सत्र बाधित करना और इस प्रकार भविष्य में डॉक्टरों की उपलब्धता प्रभावित होने देना कोर्ट ने ठीक ही तर्कसंगत नहीं माना।

NTA पर सवाल | बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को NEET-UG या नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के लिए क्लीन चिट नहीं माना जा सकता। बात सिर्फ पेपरलीक की नहीं है। चाहे ग्रेस मार्क्स देने और उसे कैंसल करने की बात हो या धीरे-धीरे सामने आती गड़बड़ियों पर एजेंसी के रुख की, इस पूरे मामले ने संदेह का ऐसा माहौल बनाया है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

राजनीतिक मुद्दा | भूलना नहीं चाहिए कि मामला NEET-UG तक सीमित नहीं है। NTA द्वारा संचालित अन्य परीक्षाओं में भी गड़बड़ी और बदइंतजामी की शिकायतें आती रही हैं। संसद में भी यह मसला उठाया गया है। साफ है कि इस पूरे मामले का सिर्फ एक पहलू ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था।

तार्किक परिणति | ऐसे में दो बातें खास ध्यान देने लायक हैं। एक तो यह कि इस मामले की जांच अभी चल रही है। बहुत संभव है कि जांच में नए साक्ष्य सामने आएं जिनसे मामले के कुछ और अनछुए पहलू उजागर हों। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जांच अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचे। दूसरी बात यह कि उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी परीक्षाओं के संचालन को ज्यादा गंभीरता से लिया जाए। इस स्तर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही की गुंजाइश छोड़ना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा।

साड्डी दिल्ली

वहां के ओलिंपियन

विवेक शुक्ला

मोरी गेट से दरियागंज का फासला तीन-चार किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। जब भारत की हॉकी टीम 1928 के एम्स्टर्डम ओलिंपिक खेलों के लिए चुनी गई तो उसमें माइकल ए. गेटले और दरियागंज वाले इफ्तिखार अली खान पटौदी सीनियर भी थे। पटौदी का तो जन्म ही दरियागंज के पटौदी हाउस में हुआ था। वह भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान भी बने। उनके पुत्र मंसूर अली खान ने भी भारतीय टीम की कप्तानी की। माइकल ए. गेटले और पटौदी सीनियर शायद दिल्ली के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलिंपिक में भाग लिया। एंग्लो इंडियन गेटले कश्मीरी गेट में पुराने सेंट स्टीफंस कॉलेज के पास रहते थे। गेटले 1932 के लास एंजिल्स खेलों में दादा ध्यान चंद के साथी थे।

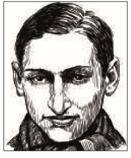
Subrata Dhar

बेशक, डॉ. करणी सिंह सेंट स्टीफंस कॉलेज के सबसे नामवर ओलिंपिक खिलाड़ी रहे। उन्होंने 1960 (रोम), 1964 (टोक्यो), 1968 (मेक्सिको), 1972 (म्युनिख) और 1980 (मास्को) ओलिंपिक की शूटिंग स्पर्धाओं में भाग लिया। साउथ दिल्ली में तुगलकाबाद से जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी आते-जाते आपको करणी सिंह शूटिंग रेंज मिलेगी। यह किसी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया राजधानी का पहला स्टेडियम है। करणी सिंह रेंज का निर्माण 1982 के एशियाई खेलों की निशानेबाजी स्पर्धाओं के लिए हुआ था। मशहूर खेल प्रशासक रणधीर सिंह ने 1968 से लेकर 1984 तक पांच ओलिंपिक खेलों में भाग लिया। कमाल के निशानची मनेशर सिंह ने 2004 और 2008 के ओलिंपिक में भाग लिया। रणधीर सिंह और मनशेर सिंह भी सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़े थे।

इस बीच, रोम खेलों में सेंट स्टीफंस कॉलेज में गणित के प्रफेसर रहे रंजीत भाटिया ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया था। इसी रोम ओलिंपिक में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का 400 मीटर की स्पर्धा में पदक पाने का ख्वाब चूर हो गया था। 2000 के सिडनी ओलिंपिक में सेंट स्टीफंस कॉलेज के पीयूष कुमार ने 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में, और संदीप सेजवाल ने तैराकी की 100 और 200 मीटर ब्रेस्ट स्टोक स्पर्धाओं में भाग लिया था। जिस सेंट स्टीफंस कॉलेज में गांधी जी के सहयोगी दीनबंधु सी.एफ. एंड्रूज पढ़ाते रहे, वहां की छात्रा रही टेबल टेनिस प्लेयर नेहा अग्रवाल ने 2008 के पेइचिंग ओलिंपिक खेलों में भाग लिया।

एकदा

संकल्प की जीत

18वीं सदी की बात है। इंग्लैंड के जहाजी बेड़े के कुशल और साहसी सेनापति थे होराशियो नेल्सन। उन दिनों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच क्रांतिकारी युद्ध चल रहा था। नेल्सन के लिए नील नदी की लड़ाई एक बड़ी चुनौती थी। वह हर समय अपनी सेना के बड़े अधिकारियों के साथ लड़ाई की योजना बनाने में व्यस्त रहते। कई अधिकारियों को जीत को लेकर शंका हो रही थी। नेल्सन सभी की बातें गौर से सुन रहे थे। उसी बीच एक अधिकारी बोल पड़ा, 'अगर हमारी जीत हो गई तो सारी दुनिया चकित रह जाएगी।' उस अधिकारी की बात सुनकर नेल्सन की त्यौरियां चढ़ गईं। वह आदेशात्मक लहजे में बोले, 'यदि क्यों? हम जीतेंगे और अवश्य जीतेंगे।' कप्तान बोला, 'सर, हमारा दुश्मन कहीं अधिक शक्तिशाली है और उसके पास सैनिकों की संख्या बहुत अधिक है। उनके पास शस्त्र भी हमसे कहीं अधिक हैं। इसलिए हमारी जीत भाग्य पर निर्भर है।' नेल्सन आवेश में बोले, 'नहीं, हमारी जीत का भाग्य से कोई संबंध नहीं। हम भाग्य के सहारे नहीं, बल्कि संकल्प के सहारे जीतेंगे। हमारा संकल्प, विश्वास, साहस, दृढ़ निश्चय, विवेक और शौर्य ही हमारी जीत सुनिश्चित करेगा।' और सेनापति नेल्सन ने सभी सैनिकों में नई ऊर्जा का संचार कर दिया। फिर क्या था, सारे सैनिक अपने कौशल और आत्मविश्वास के साथ शत्रु सेना पर टूट पड़े। घमासान युद्ध हुआ और अंत में जीत नेल्सन सेना की हुई। पूरी सेना में खुशी की लहर छा गई। विशेष रूप से जिन अधिकारियों को आशंका थी उन्होंने पूरी जीत का श्रेय नेल्सन को दिया और उनकी संकल्प शक्ति की सराहना की। सच में यह जीत दृढ़ संकल्प शक्ति और आस्था की ही जीत थी।

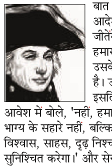
Subrata Dhar

संकलन : **रमेश जैन**

सीमा पर जारी गतिरोध और रिश्तों में तनाव के बावजूद चीन से निवेश को अपग्रेड करने का सुझाव

चीन से ट्रेड बढ़ाने की बात अभी क्यों

चंद्रभूषण

भारत-चीन आर्थिक संबंध किसी निश्चित रास्ते पर चलने का नाम ही नहीं ले रहे। 2020 में गलवान घाटी के टकराव के बाद भारत में चीन की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए वहां से होने वाले आयात को सीमित करने के प्रयास किए गए थे। साथ ही, चीन के पूंजी निवेश को हतोत्साहित करने के लिए 2021 में जारी एक शासनादेश के मुताबिक भारत की जमीनी सीमाओं से लगे सभी देशों से आने वाले निवेश के लिए सरकार के स्तर पर मंजूरी लेना जरूरी बना दिया गया था। सरकार का यह मूड देखकर चीनी ब्रैंड की कुछ मोबाइल फोन कंपनियों में हड़तालें हुई थीं और दो-एक जगह उनके ठिकानों पर तोड़फोड़ भी हुई थी। लेकिन अभी, केंद्रीय बजट से ठीक पहले आए इकॉनमिक सर्वे में चीन से होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

रिश्तों में रुखापन | भारत से चीन के कूटनीतिक रिश्ते अभी फ्रिज में ही पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पद संभालने पर भी चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की ओर से बधाई संदेश नहीं आया। हफ्ते भर बाद आधिकारिक बधाई संदेश आया भी तो उस पर चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग का नाम लिखा था। ऐसे माहौल में चीन से एफडीआई बढ़ाने के सारे जतन करने का यह सर्वे वाला सुझाव कुछ अटपटा-सा है।

दो ही विकल्प | प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने जो सफाई इस प्रस्ताव के बारे में दी है, उसके मुताबिक दुनिया के आर्थिक-वाणिज्यिक वातावरण को देखते हुए भारत के सामने दो ही विकल्प बचते हैं। या तो चीन से बना-बनाया सामान मंगाकर अपने यहां सिर्फ पैकेजिंग और ब्रैंडिंग करके पश्चिमी बाजारों में बेचा जाए, या फिर चीनी पूंजी और तकनीक का आयात किया जाए। इसका मतलब कि उन्हें अपने यहां सीधे या किसी भारतीय भागीदार से सहयोग बनाकर फैक्ट्री लगाने दी जाए और अपने लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करते हुए बेहतर मुनाफे के साथ चीजों को अमेरिका और यूरोप के बाजारों में उतारा जाए।

चीन का दबदबा | हर हाल में चीन पर ऐसी निर्भरता क्यों? इस सवाल का जवाब देते हुए नागेश्वरन ने ग्रीन एनर्जी, टर्बाइनों, न्यूक्लियर टेक्नॉलजी और बैट्री वाली गाड़ियों जैसे कुछ खास क्षेत्रों में चीन की तकनीकी दक्षता और कुछ खास खनिजों, सिंथेटिक पदार्थों और रसायनों में उसके एकाधिकार का जिक्र किया। ज्यादा तह में जाएं तो असल बात कुछ मामलों में यूक्रेन युद्ध से पहले ही, लेकिन खास तौर पर यह लड़ाई शुरू होने के बाद यूरोपीय संघ, अमेरिका और कनाडा के रवैये से जुड़ी लगती है, जो अपने यहां चीन से होने वाले आयात को कम से कम रखना चाहते हैं। उनके यहां चीन से आने वाली चीजों में कुछ अपने सस्तेपन की वजह से खरीदी जाती हैं और कुछ तकनीकी श्रेष्ठता की वजह से।

AI Image

पश्चिम की रणनीति | पश्चिमी मुल्क इस मामले में तितरफा रणनीति पर अमल कर रहे हैं। एक तो चीन की तकनीकी प्रगति की रफ्तार कम करना, जिसके लिए श्रेष्ठतम श्रेणी की माइक्रोचिप बनाने की सारी संभावनाएं उन्होंने अपनी तरफ से इस मुल्क के लिए बिल्कुल ठप कर दी हैं। दूसरा, श्रेष्ठ तकनीकी दक्षता वाली चीनी वस्तुओं के आयात को जांच-पड़ताल और ऊंचा आयात शुल्क लगाकर न्यूनतम स्तर पर ला देना। और तीसरा, जो चीजें चीन से हर हाल में मंगानी जरूरी हों, उन्हें किसी और देश को बीच में डालकर मंगाना, जिसे उन्होंने 'चाइना प्लस वन' पॉलिसी का नाम दिया है। इस तीसरी रणनीति का हिस्सा बनकर ही मेक्सिको पिछले दो-तीन वर्षों में अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। एशिया में दक्षिण कोरिया और वियतनाम ने भी इसका खूब फायदा उठाया है।

इकॉनमिक सर्वे के संकेत
- चीन से FDI आसान बनाने का सुझाव
- देश की आर्थिक चुनौतियों का हवाला
- चीनी कंपनियों से सहयोग फायदेमंद

देश पर दबाव | भारत की कोशिश किसी तरह 'चाइना प्लस वन' का फायदा उठा रहे मुल्कों की पांत में शामिल होने की है। दूसरी तरफ भारतीय वित्त मंत्रालय को अपने यहां कई क्षेत्रों के उद्यमियों का दबाव भी झेलना पड़ रहा है, जिनका कारोबार चीन से आने वाले इंटरमीडियरी गुड्स पर ही निर्भर करता है। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा जा रहा है कि किसी ने पूरी योजना बनाकर किसी चीज की फैक्ट्री डाली, लेकिन जैसे ही उसका सामान बाजार में आया, चीन से आए उसी श्रेणी के सामान ने कीमतों के अखाड़े में उसे चित कर दिया। सोलर सेल बनाने वाली भारतीय कंपनियों के साथ ऐसा कई बार हो चुका है। इकॉनमिक सर्वे का सुझाव अमल में आने पर वे चीनी कंपनियों से कोलैबोरेशन में जा सकती हैं।

अमेरिका का खतरा | US में अगर डॉनल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए तो उनका नजरिया कारोबार के मामले में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माना जाता रहा है। पिछले कार्यकाल में उन्होंने भारत को अपनी गैर-जरूरी चीजें बेचने के लिए दबाव बनाया था और भारत द्वारा निर्यातित कुछ सामानों पर टैक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। कई काम वह सिर्फ माहौल बनाने के लिए भी करते हैं, जिससे अमेरिकी बाजार पर निर्भर देशों को बहुत नुकसान होता है।

भविष्य की तैयारी | विश्व अर्थव्यवस्था को कोरोना और यूक्रेन युद्ध से जो झटका लगा, उसे भारत ने रूस और पश्चिमी मुल्क, दोनों ही खेमों से अपने करीबी रिश्तों के बल पर झेल लिया। आगे और ज्यादा ध्रुवीकृत होने की आशंका से भरे विश्व बाजार में टिके रहने की तैयारी सर्वे के इस प्रस्ताव में दिख रही है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

पेरिस में तोक्यो से आगे निकलने की चुनौती

रौशन झा

पेरिस ओलिंपिक्स 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस बार भारतीय एथलीट्स के सामने चुनौती है अपना नया सर्वश्रेष्ठ कायम करने की। पिछली बार, तोक्यो ओलिंपिक्स में हमारे एथलीट्स ने इतिहास रचते हुए अब तक के सबसे ज्यादा सात मेडल जीते थे। इसके बाद, 2023 में आयोजित एशियन गेम्स में भी हमने शानदार प्रदर्शन किया और 100 से ज्यादा मेडल अपने नाम किए। इवेंट दर इवेंट भारतीय एथलीट्स के प्रदर्शन में लगातार सुधार दिख रहा है। इसलिए पूरा देश आस लगाए बैठा है कि हमारे खिलाड़ी तोक्यो से भी ज्यादा चमक पेरिस में बिखेरेंगे।

नीरज से उम्मीदें | जिस एक एथलीट से सबसे अधिक उम्मीदें लगाई गई हैं, वह हैं नीरज चोपड़ा। नीरज ने पिछली बार जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था। तब एथलेटिक्स में पहली बार भारत के खाते में कोई मेडल आया था। नीरज इस समय शानदार फॉर्म में भी हैं। पिछले महीने फिनलैंड में उन्होंने 85.97 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड जीता था। हर इवेंट में सफलता के झंडे गाड़ते चले आ रहे नीरज यह जरूर चाहेंगे कि पेरिस में भी वह गोल्ड जीतकर एक नया कीर्तिमान अपने नाम करें। ओलिंपिक्स में किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में दो गोल्ड जीतने का कीर्तिमान, जो अभी तक किसी भारतीय के हिस्से नहीं आया है।

बैडमिंटन में दबदबा | बैडमिंटन में पिछले तीन आयोजन से लगातार भारत का खाता खुल रहा है। इन तीन में से दो मेडल पीवी सिंधु ने जीते हैं। मेंस डबल्स स्पर्धाओं में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी से भी बहुत उम्मीदें हैं। दोनों जबरदस्त फॉर्म में हैं और एक साथ मिलकर देश को कई मेडल दिला चुके हैं। लक्ष्य सेन भी पुरुष सिंगल्स में मेडल के दावेदारों में शामिल हैं।

कुश्ती पर भरोसा | 2008 पेइचिंग ओलिंपिक्स से हम रेसलिंग में लगातार मेडल जीत रहे हैं। इस क्रम को जारी रखने की जिम्मेदारी अनुभवी विनेश फोगाट पर होगी। विनेश तीसरी बार ओलिंपिक में खेलने उतरेंगी। वह जरूर चाहेंगी कि पिछले दिनों हुए विवादों का जवाब मेडल जीतकर दिया जाए। अंतिम पंघाल भी मेडल की प्रबल दावेदार हैं। पुरुष वर्ग में भारत के लिए इस बार केवल अमन सहरावत ही चुनौती पेश कर सकेंगे।

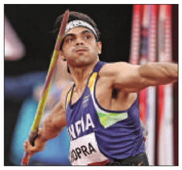
कॉमन रूम

पंच दमदार | वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू पर देश को मेडल दिलाने का भार होगा। चानू ने पिछली बार सिल्वर जीता था। हालांकि तोक्यो ओलिंपिक्स के बाद से चानू का सफर बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। वह चोट से परेशान रही हैं। फिर भी वह अपने मेडल का रंग बदलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। इसी तरह, बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने पिछली बार ब्रॉन्ज जीता था। 2008 के बाद यह पहला मौका था जब बॉक्सिंग में हमने कोई मेडल जीता। इस बार लवलीना के साथ ही निखत जरीन का दावा भी मजबूत है।

हॉकी से आस | भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2020 में ब्रॉन्ज जीतकर ओलिंपिक मेडल के चार दशक लंबे सूखे को खत्म किया था। ओलिंपिक्स में 8 गोल्ड जीतने वाली टीम इंडिया से उम्मीद है कि वह इस आंकड़े को इस बार 9 पर पहुंचाएगी।

मेडल पर निशान | पेरिस में हमारे 117 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। शूटिंग में सबसे ज्यादा खिलाड़ी उतरेंगे। शूटिंग में हम व्यक्तिगत स्पर्धाओं में गोल्ड भी जीत चुके हैं। टीम में शामिल कई खिलाड़ियों में मेडल पर निशाना लगाने की क्षमता है। मनु भाकर, शिफ्त कौर समरा, अनीश भानवाला, ऐश्वर्य प्रताप तोमर, श्रेयसी सिंह पर उम्मीदों का भार होगा। इसके अलावा गोल्फ में अदिति अशोक और दीक्षा डागर, टेबल टेनिस में अचंता शरत कमल और मनिका बत्रा, तैराकी में श्रीहरि नटराज, टेनिस में सुमित नागल, एथलेटिक्स पुरुष शॉटपुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर, महिला 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी, स्टीपल चेज में पारुल चौधरी और महिला जैवलिन थ्रो में अन्नु रानी पर निगाहें रहेंगी।

उनकी बातों से हिल गए थे अंग्रेज़

टाइम मशीन

13 अप्रैल 1919 को जब जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में जमा लोगों पर गोलियां बरसाईं और लाशों के ढेर लगा दिए तो 19 साल का किशोर उधम सिंह भी लाशों के बीच घायल पड़ा था। इसके बाद अगले 21 वर्षों तक उधम सिंह की जिंदगी का केवल एक मकसद रहा, अंग्रेजों की गोलीबारी का बदला लेना। उनके निशाने पर था माइकल ओ ड्वायर, जो उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और जिसकी इजाजत के बिना जनरल डायर ने यह कत्लेआम नहीं किया होता।

जलियांवाला का बदला | उधम सिंह अपने लक्ष्य के साथ लंदन पहुंच गए। दो दशक तक उनके सीने में जलियांवाला बाग नरसंहार की आग धधकती रही। आखिर 13 मार्च 1940 का दिन आया। लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडियन असोसिएशन की मीटिंग चल रही थी। उसी दौरान उधम सिंह ने ओ ड्वायर को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने ब्रिटेन में सनसनी फैला दी। फ्रांस और जर्मनी तक इसकी गूंज पहुंची।

गलत पहचान | उधम सिंह की गिरफ्तारी को लेकर शुरू में गफलत का भी माहौल रहा। पहले उनकी शिनाख्त मुहम्मद सिंह आजाद नाम के शख्स के रूप में की गई। बाद में पता चला कि उनका असल नाम उधम सिंह है। उधम सिंह ने जो बयान दिया और जिसे घटना के सबूत के तौर पर पेश किया गया, उसे डेली मिरर ने छापा। 2 अप्रैल 1940 की उस रिपोर्ट में कहा गया, 'उस भारतीय का कहना है, मरने के लिए तैयार हूं... मैं अपने देश के लिए जान दे रहा हूं।'

न्याय का दिखावा | इस केस की सुनवाई केवल दो दिन चली। 4 जून को सुनवाई शुरू हुई, 5 जून को खत्म हो गई। 5 जून को अभियोजन पक्ष ने उधम सिंह से जिरह की। उधम सिंह से पूछा गया, 'तुम्हें मौत की सजा क्यों न दी जाए?' उस वीर का जवाब था, 'मुझे कहना है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो। वहां शांति कायम हो। आप अपना इतिहास देखें। कई रक्तपिपासु लोगों को आपने भारत में राज करने को भेजा है। वे राक्षस हैं।' उधम सिंह के इतना कहते ही जस्टिस एटकिंसन बिफर पड़ा। उसने कहा कि वह राजनीतिक भाषण और ब्रिटिश सरकार की निंदा नहीं सुनेगा।

अंग्रेजों को लताड़ | उधम सिंह पर अदालत का रौब नहीं जमा। उन्होंने कहा, 'मुझे मरने का डर नहीं है। मैं अपनी मातृभूमि की मदद करना चाहता हूं। उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद इनको भगाने के लिए मेरे दूसरे देशवासी सामने आएंगे। मैं इंग्लिश कोर्ट में इंग्लिश जूरी के सामने खड़ा हूं। आप लोग भारत जाते हैं और जब वहां से लौटते हैं तो आपको इनाम दिए जाते हैं। आपको हाउस ऑफ कॉमंस में जगह दी जाती है। लेकिन जब हम इंग्लैंड आते हैं तो हमें मौत की सजा दी जाती है।'

अधूरी सुनवाई | उधम सिंह की खरी-खरी सुनकर जस्टिस एटकिंसन का पारा गर्म हो गया। उसने कहा, 'मैं अब और नहीं सुनने वाला।' उधम सिंह ने कहा, 'आप और नहीं सुनना चाहते, लेकिन मुझे ढेरों बातें कहनी हैं। तुम लोग शातिर हो। भारत में जो कुछ हो रहा है, उसे सुनना भी नहीं चाहते?' इसके बाद उन्होंने नारा लगाया, 'इंग्लैंड मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।' सुनवाई की जो प्रक्रिया थी, उससे साफ था कि अंग्रेज किस बात का मन बना चुके थे। जस्टिस एटकिंसन ने उधम सिंह को मौत की सजा सुनाई। लंदन की पेंटनविले जेल में 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई।

-नवभारत टाइम्स

मर्ज़ी को मान्यता नहीं

आधी दुनिया

प्रणव प्रियदर्शी

यह दौर तो लड़कियों की आजादी के गीत गाने का है, लेकिन अगर मसला अबॉर्शन का हो, तो वे आज भी दीन-हीन नजर आती हैं। उन्हें न केवल परिवार, समाज और मेडिकल प्रफेशन से कदम-कदम पर निराशा, अपमान और जिल्लत मिलती है बल्कि कानून के लंबे हाथ भी उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर इसी महीने सुनाए गए दो फैसलों को लिया जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महिला को 26 महीने की प्रेग्नेंसी अबॉर्ट करने की इजाजत नहीं दी क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में भ्रूण में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई। दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में 30 हफ्ते की प्रेग्नेंट महिला की अबॉर्शन की अर्जी मंजूर कर ली क्योंकि मेडिकल बोर्ड के मुताबिक भ्रूण में असामान्यता के लक्षण दिख रहे थे। साफ है कि समाज तो छोड़िए, कानून की नजर में भी अहमियत महिला की इच्छा या उसकी मर्जी की नहीं, भ्रूण की स्थिति की है। उसका फैसला मंजूर किया जाएगा या नहीं, यह बहुत सी दूसरी बातों पर निर्भर है। जैसे रेप या अन्य कारणों से बनी उसकी स्थिति, कोई बड़ी बीमारी या भ्रूण में ही कोई गंभीर समस्या। यही वजह है कि अलग-अलग मामलों में अदालतें अलग-अलग तरह के फैसले देती रहती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच का बहुचर्चित पुत्तास्वामी जजमेंट कहता है कि प्रजनन को लेकर किसी महिला की मर्जी निजता, गरिमा और अपने शरीर पर उसके अधिकार से जुड़ी चीज है। पर 1860 की IPC के प्रावधान गर्भपात को अपराध करार देते हैं, जिसे भारतीय न्याय संहिता भी बदलने की जरूरत नहीं समझती। 1971 के MTP एक्ट ने इसी व्यवस्था में एक अपवाद बनाते हुए डॉक्टरों को अधिकार दिया कि कुछ खास स्थितियों में वे प्रग्नेंसी खत्म कर सकते हैं। साफ है कि डॉक्टर केंद्रित इस प्रावधान में महिला की मर्जी और गर्भ रखने या न रखने के उसके अधिकार के लिए खास जगह नहीं है।

AI Image

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ बजट कुछ ख़ास नहीं

24 जुलाई के संपादकीय 'युवा शक्ति का खयाल' में बजट का सटीक विश्लेषण किया गया है। बजट में इस बार युवाओं के रोजगार पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र में बजट में सात प्रतिशत की कटौती खटकती है। रक्षा क्षेत्र को अधिक धन आवंटित करना था। शेयर बाजार में कर का बोझ बढ़ाना भी उचित नहीं है। इससे निवेशक शेयर बाजार से पैसे निकालकर चांदी-सोने में निवेश करेंगे, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ 26 सीटों के वास्ते आंध्र प्रदेश और बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक धन आवंटित करना भेदभावपूर्ण लगता है।

रितेश कुमार सिन्हा, ईमेल से

■ जनता का भरोसा

यह पत्र 23 जुलाई के लेख 'क्या हवा का रुख बदल देंगी कमला हैरिस' से संबंधित है। बाइडन ने सचाई को स्वीकारा और राष्ट्रपति के चुनाव से अपने आपको अलग कर लिया और कमला हैरिस के नाम की वकालत कर दी। वह इस पद पर अपनी दावेदारी ठोकने वाली अमेरिका की पहली गैर श्वेत महिला बन गई हैं। लेकिन उन्होंने पिछले पांच वर्षों में उपराष्ट्रपति के तौर पर जो काम किया, उसमें बहुत-सी खामियां हैं और उनकी दावेदारी कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं जगाती। उनके विरुद्ध कोई और खड़ा नहीं होता है तो उन्हें मतदाताओं का भरोसा जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी।

बाल गोविंद, नोएडा

■ आम आदमी की अनदेखी

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश किया और सबको कुछ न कुछ दिया। देश के असंगठित क्षेत्र में ऐसे करोड़ों लोग हैं, जो महीने में 6,000 से 20,000 रुपये तक कमाते हैं। इन्हें कोई फंड, बोनस, ग्रैच्युटी और छुट्टी नहीं मिलती। प्राइवेट नौकरी से रिटायर होने पर भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। ये पूरी तरह से मालिकों के रहमोकरम पर रहते हैं। सरकार को इनकी परवाह नहीं। सीनियर सिटीजन पर कोई ध्यान नहीं देता। रेलवे में उन्हें मिलने वाला कन्सेशन तक बंद कर दिया गया। बजट में आम आदमी कहीं नहीं दिखता।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

शरद पवार ने CM शिंदे से की
मुलाकात - एक खबर
- यह मुलाकात एक बहाना है,
गठबंधन पर मूड आजमाना है!

मीनाक्षी सिंह

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

हमेशा माफ़ कर देना भी कोई बहुत अच्छी आदत नहीं

गोपाल अग्रवाल

कितनी बार हमने सुना है कि माफ करना जरूरी है। जैसे ही कोई हमें ठेस पहुंचाता है, तो सलाह दी जाती है कि माफ कर दो, आगे बढ़ो। लेकिन क्या सच में माफ करना ही एकमात्र रास्ता है? क्या हम किसी को माफ करने के लिए खुद को मजबूर कर सकते हैं? माफ करना एक भावनात्मक प्रक्रिया है, जहां खुद पर दूसरों के किए अत्याचारों से उनको मुक्त करने का प्रयास करते हैं। यह खुद को दुखों से बचाने का एक तरीका हो सकता है। पर जरूरी नहीं कि हम सामने वाले में सकारात्मक भाव लाने के लिए गिड़गिड़ाएं। उसे भी समझने का, अपनी संवेदनाओं को जगाने का मौका देना होगा। इसके लिए हो सकता है कि हम माफ कर दें, पर यह न जताएं कि उसके बुरे व्यवहार का हम पर कोई असर ही नहीं हुआ।

माफ करने से पहले हमें खुद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने चाहिए। 'क्या मुझे माफ करने की जरूरत है?' कभी-कभी, माफ करने से पहले हमें बहुत सी भावनात्मक समस्याओं को सुलझाना होता है। माफी एक गड़बड़ प्रक्रिया है। हमें अपने दर्द को समझना होगा, उसके साथ जुड़ना होगा और फिर उसे छोड़ना होगा। यह सब समय लेता है और इसके reaction के तौर बहुत सी भावनाएं उभर सकती हैं। कभी-कभी माफी पर विचार करने के बजाय हमें खुद से पूछना चाहिए, 'मुझे खुद को मुक्त करने के लिए क्या करने की जरूरत है?' यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जरूरी नहीं कि माफी से हमें मुक्ति मिल ही जाए। हम अपने आपको दर्द से मुक्त करने के लिए अन्य तरीकों का भी उपयोग कर सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, या उन्हें कला के माध्यम से जाहिर कर सकते हैं।

हम उस व्यक्ति से दूरी बना सकते हैं जिसने हमें चोट पहुंचाई है और उसके साथ संबंधों को सीमित कर सकते हैं। हम अपनी खुद की देखभाल कर सकते हैं, अपने आपको प्राथमिकता दे सकते हैं, और अपनी खुशी और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। माफ करना हमेशा सही नहीं होता, पर इसके लिए खुद का रास्ता चुनना चाहिए जो हमारे लिए सही हो। इसे माफी से परिभाषित नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमें स्वीकृति, शांति, और मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए माफ करने के लिए खुद को मजबूर न करें। खुद को मुक्त करने के लिए सही रास्ता चुनें, चाहे वह माफी के जरिए हो या किसी और तरीके से।

वहीं माफी मांगना आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि हम खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाने से बचाने के लिए अपनी गलतियों और माफ करने का रास्ता चुनें। माफी मांगना तब असली होता है जब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं। इससे हमें अपने आप के प्रति ईमानदार होने में मदद मिलती है और दूसरे व्यक्ति के साथ एक नया संबंध बनाने का मौका मिलता है। लेकिन कभी-कभी, माफी मांगना ही काफी नहीं होता है। हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदारी लेनी होती है और अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करनी होती है। हम दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश करनी होती है और उनकी भावनाओं को सम्मान देना होता है।

[illegible]

पायनियर
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 25 जुलाई, 2024

आर्थिक सर्वेक्षण

उम्मीद से भरपूर

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भारत की प्रगति व विकास के प्रति उम्मीदों से भरपूर है। हालांकि, केन्द्रीय बजट के एक दिन पहले पेश सर्वेक्षण में चिन्ताजनक क्षेत्रों की ओर संकेत करते हुए केन्द्र सरकार से इनमें प्राथमिकता से काम करने का अनुरोध किया गया है। बजट के पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने की परंपरा है क्योंकि चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख कर इससे बजट का माहौल बनता है। इस वर्ष अच्छी आर्थिक वृद्धि हुई है। इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के 6.5-7.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण एक समग्र रिपोर्ट है जिसने पिछले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों की समीक्षा कर विभिन्न क्षेत्रों में तेज वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। इस आशावाद के अनेक आयाम हैं जिनमें मजबूत घरेलू उपभोग, बढ़ता निवेश तथा लाभदायक सरकारी नीतियां शामिल हैं। मजेदार बात है कि ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थायें जीडीपी का इससे काफी निचला स्तर प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सर्वेक्षण ने ढांचागत विकास पर सरकार की सक्रियता को रेखांकित किया है जो आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण संचालक है। सड़क, रेल और बंदरगाह विकास की वर्तमान समय में जारी परियोजनाओं से कनेक्टिविटी और क्षमता में वृद्धि होगी तथा सहज व्यापार एवं वाणिज्य में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास आर्थिक वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आलोचनाओं के बावजूद सर्वेक्षण का मानना है कि 'मेक इन इंडिया' पहल के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार, निर्यात व खासकर उच्च वृद्धि दर वाले फार्मास्यूटिकल्स, एलेक्ट्रानिक्स व टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने से भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था के समस्याग्रस्त क्षेत्रों की बात भी की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझी जाने वाली कृषि प्राथमिकता बनी हुई है। सर्वेक्षण ने इस क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने तथा टिकाऊ वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए और सुधारों का सुझाव दिया है। तकनीकों में खोज तथा बाजारों तक बेहतर पहुंच ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी है। आर्थिक सर्वेक्षण ने उचित ही विभिन्न आयामों का मूल्यांकन किया है जो अर्थव्यवस्था को नीचे धकेल सकते हैं तथा राष्ट्रीय वृद्धि में बाधा बन सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें सबसे बड़ी बाधा मुद्रास्फीति है। सर्वेक्षण ने सुझाव दिया है कि मौद्रिक नीति के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए बिना वृद्धि को प्रभावित किए मुद्रास्फीति पर लगाम लगाई जा सकती है। बेरोजगारी एक और बाधा है जिसे प्राथमिकता से संबोधित किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण ने ऐसी नीतियों का समर्थन किया है जो कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहन दें तथा आर्थिक विकास के उपयुक्त परिवेश का निर्माण करें ताकि बढ़ती हुई युवा जनसंख्या की क्षमताओं का लाभ उठाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के उपयुक्त परिवेश बनाने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पुन: दुहराई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में आर्थिक सर्वेक्षण के अनेक सुझावों को शामिल किया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का रोडमैप पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने नौ प्राथमिकतायें परिभाषित की हैं। इनमें कृषि, रोजगार, मानव विकास, ऊर्जा सुरक्षा, विनिर्माण, खोज, ढांचागत संरचना तथा अगली पीढ़ी के सुधाार शामिल हैं। इनसे बेरोजगारी घटाने, मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने तथा अर्थव्यवस्था को समावेशी व टिकाऊ बनाने में सहायता मिलेगी।

एमएसएमई हेतु आयकर संशोधन

छोटे उद्यमों के समक्ष बड़े उद्यमों द्वारा विलंबित भुगतान बड़ी समस्या है। इसके कारण कार्यकारी पूंजी में आने वाली कमी से उत्पादन प्रभावित होता है।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

वित्त कानून, 2023 के अंतर्गत आयकर कानून में संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी हो गया है। इसमें वस्तुओं व सेवाओं के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों-एमएसएमई को 45 दिन से अधिक भुगतान के विलंब तथा कर छूट की मांग करने पर रोक लगाई गई है। एमएसएमई सहायक इकाइयां हैं जो बड़े उद्यमों या प्रमुख इकाइयों को वस्तुओं और अधिकांशत: सहायक वस्तुओं का उत्पादन, विनिर्माण और प्रसंस्करण में सहायता करती हैं। ये इकाइयां छोटे पैमाने पर काम करती हैं और इनको सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के रूप में पुन: परिभाषित किया जाता है जो उनके 'निवेश' और 'टर्नओवर' से तय होता है। इसे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम विकास कानून, 2006 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

सूक्ष्म उद्यम का अर्थ ऐसा उद्यम है जहां प्लांट और मशीनरी या उपकरणों में निवेश 10 मिलियन रुपये से अधिक न हो तथा उनका टर्नओवर 50 मिलियन रुपये से अधिक न हो। लघु उद्यम में प्लांट और मशीनरी में निवेश 100 मिलियन रुपये से कम होना चाहिए तथा टर्नओवर 500 मिलियन से अधिक न हो। मझोले उद्यम के लिए यह सीमा निवेश हेतु 200 मिलियन तथा टर्नओवर 1000 मिलियन परिभाषित है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार सकल मूल्य संवर्धन-जीवीए में एमएसएमई का हिस्सा भारत के सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत है। अखिल भारतीय विनिर्माण में विनिर्माण एमएसएमई का हिस्सा और अधिक लगभग 36 प्रतिशत है।

कामर्शियल इंटेलीजेंस एंड स्टेटिस्टिक्स महानिदेशालय-डीजीसीआईएस के अनुसार, अखिल भारतीय निर्यातों में एमएसएमइ-विशिष्ट उत्पादों के निर्यात का हिस्सा पिछले दो वर्ष में 44 से 50 प्रतिशत के बीच रहा है। जहां तक रोजगार का सवाल है, मैक्किन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट-एमजीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में एमएसएमई का योगदान कुल में 52 प्रतिशत है। 'अनौपचारिक' क्षेत्र में एमएसएमई के अलावा पारिवारिक संपत्ति व साझेदारी वाले उद्यम शामिल हैं। इनका रोजगार में योगदान 75 प्रतिशत से अधिक है, जबकि जीडीपी में इनका हिस्सा लगभग 50 प्रतिशत है। इस प्रकार एमएसएमई अर्थव्यवस्था की संभावनायें निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही ये 'समावेशी' विकास में अपनी भूमिका अदा करते हुए खासकर रोजगार बढ़ाने, आय बढ़ाने व आय असमानता घटाने का काम करती हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार के पहले दो कार्यकाल में उन पर आर्थिक निर्णयों का बोझ पड़ा है।

इनमें 2016 में नोटबंदी, 2017 में वस्तु एवं सेवाकर-जीएसटी लागू करना तथा 2020 में कोरोनावायरस वैश्विक महामारी का विनाशकारी प्रभाव शामिल हैं। सरकार ने इनकी समस्यायें दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं जिनमें 500,000 करोड़ रुपये की बिजनेसों व एमएसएमई के लिए आपातकालीन कर्ज गारंटी योजना-ईसीएलजीएस तथा एमएसएमई सेल्फ-रिलायंट इंडिया फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी योगदान शामिल है जिससे उनको सरकारी ठेके लेने में सहायता मिली है। इसके अलावा एमएसएमई के वर्गीकरण में रियायतें, गैर-टैक्स लाभों का 3 साल तक विस्तार, खुदरा एवं थोक व्यापारों को एमएसएमई में शामिल करना, उद्यम सहायता प्लेटफार्म-यूएपी शुरू करना, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र कर्ज योजना-पीएसएल के अंतर्गत लाभ दिलाना, ई-गवर्नेंस के विभिन्न आयामों को शामिल करने वाले आनलाइन पोर्टल 'चैम्पिन्स' को शुरू करना तथा एमएसएमई की शिकायत निवारण व सहायता की व्यवस्थायें शामिल हैं।

इन सारी पहलों का उद्देश्य कर्ज की उपलब्धता, तकनीक के समावेशन, बाजार सहायता, आदि प्रदान करना है, पर इन उद्यमों के समक्ष बड़े उद्यमों द्वारा बकाया देर में भुगतान करने की समस्या बनी हुई है। सप्लाई की गई वस्तुओं का भुगतान न मिलने पर उनके पास कार्यकारी पूंजी की भारी कमी हो जाती है जिससे 'उत्पादन जारी रखने की क्षमता' पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

इस समस्या के समाधान के लिए एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, 2006 की धारा 15 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को लिखित अनुबंध की स्थिति में 45 दिन में भुगतान करना जरूरी है, जबकि लिखित अनुबंध न होने की स्थिति में यह अवधि 15 दिन निर्धारित की गई है। 2019 में कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने विशिष्ट कंपनी आदेश जारी कर कहा था कि बड़ी फर्मों को हर 6 महीने में रिटर्न फाइल करना होगा, भले ही एमएसएमई को 45 दिन की सीमा में कोई भुगतान बकाया न हो। लेकिन इसके बावजूद समस्या बनी हुई है और अनेक फर्मों को बंद करना पड़ा है। इसके बाद केन्द्र सरकार ने आईटी एक्ट, 1961 के अंतर्गत समाधान खोजने का प्रयास किया। वित्त कानून, 2023 ने आईटी एक्ट, 1961 में नई धारा 43बीएच जोड़ी।

इसके अनुसार यदि बड़ी कंपनी लिखित अनुबंधों की स्थिति में 45 दिन में एमएसएमई को भुगतान नहीं करती है तो इस खर्च को उसके वित्त वर्ष की कर योग्य आय में काटा नहीं जा सकता है। एमएसएमई से खरीदी वस्तुओं का भुगतान खर्च का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए इसे राजस्व से काटा जा सकता है। यदि कोई बड़ी फर्म एमएसएमई को 45 दिन की निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करती है तो धारा 43बीएच के अनुसार वह इस धनराशि को कर योग्य आय से काट नहीं सकती है। इससे उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यह एक बड़े प्रतिरोधक का काम करता है जिससे बड़े उद्यमों द्वारा एमएसएमई का भुगतान रोकना संभव नहीं होगा। लेकिन इस अतिरिक्त कर का कंपनी की बैलेंसशीट पर प्रभाव हमेशा के लिए नहीं पड़ता है। इस अतिरिक्त कर को अगले साल एडजस्ट किया जा सकता है जब कंपनी एमएसएमई को भुगतान करे।

इस प्रकार यह धारा सभी पक्षों के बीच अच्छा संतुलन बनाने का प्रयास करती है। इससे बड़े उद्यमों को एमएसएमई के भुगतान को प्राथमिकता दने के साथ ही उनके वित्तीय स्वास्थ्य व आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करती है, लेकिन इसके साथ ही वह बड़े उद्यमों को अनावश्यक दंड नहीं देती है। लेकिन इस बीच कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 2019 के आदेश में रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में राहत दे दी है। 15 जुलाई, 2024 को जारी एक आदेश के अनुसार इसकी आवश्यकता केवल उन कंपनियों को है जिन्होंने किसी एमएसएमई को अनिवार्य 45 दिन के भीतर भुगतान न किया हो। इसका निर्धारण वस्तुओं या सेवाओं को स्वीकार करने की तिथि के आधार पर होगा। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, 2006 की धारा 9 के अनुसार उस बड़े उद्यम को यह सूचना देनी होगी जिसने एमएसएमई से वस्तु एवं सेवा प्राप्त की है और उसे निर्धारित 45 दिन में भुगतान नहीं किया है।

लेकिन यह आदेश जारी होने के पहले बड़े उद्यमों को यह सूचना उस स्थिति में भी देनी होती थी, जब एमएसएमई को कोई भुगतान निर्धारित 45 दिन की अवधि में बाकी न हो। इससे बड़े उद्यमों को कानून के क्रियान्वयन से थोड़ी राहत मिली है और उन पर एमएसएमई भुगतान का दबाव घटा है। लेकिन इसके बावजूद उद्योगों और बिजनसों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया है कि आईटी एक्ट में संशोधित इस धारा का क्रियान्वयन एक साल यानी अप्रैल, 2025 तक टाल दिया जाए।

इसके साथ ही ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बड़े उद्यम छोटी फर्मों पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वे एमएसएमई से कोई सप्लाई न लें। इसके बजाय वे केवल ऐसी एमएसएमई से व्यवहार करें जिनका पंजीकरण 'उद्यम पोर्टल' पर न हो या वे गैर-एमएसएमई से सामान खरीदें। 'उद्यम पोर्टल' केन्द्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई पंजीकरण के लिए बनाया गया है। बड़े उद्यमों के इन अनुरोधों को अस्वीकार कर सरकार को आईटी एक्ट की धारा 43बीएच को स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करने देना चाहिए।

भारत में अस्तित्वमान तीन नये कानून

मनोज वर्घीस
(लेखक मीडिया जगत से जुड़े हैं)

> **जहां कुछ कानूनी निकायों ने नए कानूनों की आलोचना की है, वहीं अन्य इन कानूनों को आधुनिक न्याय प्रणाली की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखते हैं।**

1 जुलाई को शुरू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत के साथ, कुछ कानूनी निकायों और अन्य नागरिक संगठनों ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि इसे संसद में 'बहुत चर्चा' के बिना पेश किया गया है। जबकि, कुछ कानूनी विशेषज्ञ इसे एक 'नया अवतार' मानते हैं जो देश को पसंदीदा औपनिवेशिक कानूनों से समकालीन भारत में बदलाव करने में सक्षम बनाएगा। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के कानूनों ने लगभग 150 साल पहले ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार किए गए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) के कानूनों की जगह ले ली है। नए कानून आधुनिक न्याय प्रणाली लाएंगे, जिसमें जीरो एफआईआर, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से समन और सभी जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। करीब 20 नए अपराध जोड़े गए, 40 अपराधों में संशोधन किया गया, 83 नए जुर्माने लगाए गए और छह सामुदायिक सेवाएं शुरू की गईं, नए कानून जनहित में त्वरित न्याय देने के लिए तैयार हैं।

नए कानून 'नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले' की तर्ज पर बनाए गए हैं। आम धारणा यह है कि पुलिस को अब 'डंडे' की जगह 'डेटा' से काम करना होगा। सार्वभौमिक रूप से, किसी भी प्रणाली में बदलाव लाना और उसे लागू करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सबसे बढ़कर, कानूनी प्रणाली में बदलाव अनुकूलन के लिए एक जटिल तंत्र है। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महेश वर्मा कहते हैं, परिवर्तन अपरिहार्य है, और प्रगतिशील कानून किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छे हैं।

पुलिस को यह समझने की जरूरत है कि वे अधिकार क्षेत्र की कमी या विवादित अधिकार क्षेत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकते। उनके लिए इसे व्यवहार में लाना कठिन है क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में दर्ज मामलों की संख्या उनके संबंधित पुलिस स्टेशन की बदनामी लाएगी। अब वे कानूनी रूप से (शून्य एफआईआर) दर्ज करने और ऐसे मामले को संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य हैं। बीएनएसएस की धारा 37 के अनुसार प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप-निरीक्षक के पद से नीचे नहीं है, को गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी बनाए रखने और प्रमुखता से प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एल मेहता कहते हैं, कानून लोगों के कल्याण के लिए राज्य द्वारा अनुकरण किए जाने वाले मानदंडों का एक समूह है। कानून कानूनी व्यवस्था के लिए प्रभावी उपाय है। कानूनी व्यवस्था में देरी अपरिहार्य तंत्र है। केवल 20 प्रतिशत मामले ही अदालत तक पहुँचते हैं, पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यह एक कठिन कार्य है और इन लंबित मामलों का निपटारा करने में 300 साल से अधिक का समय लगेगा। बीएनएसएस के अनुसार, नए कानून महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता देते हैं, सूचना दर्ज करने के दो महीने के भीतर समय पर पूरा करना सुनिश्चित करते हैं (धारा 193)। समन अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे जा सकते हैं (धारा 64, 70, 71)। मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायालय अधिकतम दो स्थगन दे सकते हैं (धारा 346)।

नए कानून में सभी राज्य सरकारों को गवाह संरक्षण योजना (धारा 398) लागू करने का आदेश दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों (अध्याय 5) और छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरूआत (धारा 4, 202, 209, 226, 303, 355, 356) के लिए विशेष रूप से बीएनएस में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, और पुलिस, जेल, अभियोजकों, न्यायिक, फोरेंसिक कर्मियों के साथ-साथ आम जनता सहित सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, सरकार ने कई दौर के अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। नए शुरू किए गए तीन आपराधिक कानूनों के संबंध में कानूनी प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने के लिए विभिन्न स्तरों पर जागरूकता हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने नए आपराधिक कानूनों के साथ प्रौद्योगिकी अनुकूलता की सुविधा के लिए मौजूदा सीसीटीएनएस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम) एप्लिकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं, जिसमें एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने पुलिस, जेलों, अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों और केंद्रीय पुलिस संगठनों की क्षमता निर्माण के लिए 13 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से विश्वविद्यालयों और कानूनी शिक्षा केंद्रों के पाठ्यक्रम में तीन नए आपराधिक कानूनों को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति तलवंत सिंह नए कानूनों का मसौदा तैयार करने में शिक्षाविदों की भूमिका की सराहना करते हैं। उनका सुझाव है कि आने वाले दिनों में देश को पर्याप्त संख्या में फोरेंसिक विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत, जितने अधिक नए कानून सामने आएंगे, उतनी ही अधिक इसकी कमियों के उजागर होने की संभावना है। क्या अपराध की बढ़ती घटनाएं पुलिस और वकीलों के लिए अच्छी हैं, यह एक बड़ा सवाल है!

आप की बात

राहत देने वाला बजट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीसरी सरकार का पहला बजट 03 राहत देने और सबको साधने वाला है। इसमें युवाओं को रोजगार देने पर अत्यधिक जोर दिया गया जो कि आवश्यक था। महिलाओं के कल्याण के लिए बड़ी रकम का प्रावधान किया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। लेकिन खटकने वाली बात यह है कि शिक्षा क्षेत्र में बढ़ोतरी के बजाय उल्टे सात प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। यह फैसला उचित नहीं लगता है। इसी प्रकार रक्षा क्षेत्र को भी और अधिक धन दिया जाना था क्योंकि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय युद्धग्रस्त परिस्थितियों और चीन पाकिस्तान के नापाक इरादों के चलते रक्षा क्षेत्र में और अधिक सुधार कर सेनाओं को अत्याधुनिक तकनीक से लेस करना अब अत्यधिक जरूरी हो गया है। चांदी सोने की ड्यूटी में कटौती करने की कोई तुक नजर नहीं आई और शेयर बाजार में करों का बोझ बढ़ाना भी उचित नहीं है। इससे निवेशक अपना निवेश शेयर बाजार से निकलकर चांदी-सोने में करेंगे जो आर्थिक विकास की गति को धीमा करेगा। अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश और बिहार को ज्यादा बजट देना भी ठीक नहीं लगता है। लेकिन कुल मिला कर बजट आम जनता को राहत देने वाला होगा। सरकार के इस कदम से उम्मीद बढ़ी है।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

रोजगारोन्मुख बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार रोजगार उन्मुख बजट पेश किया है जो कि देश की युवा शक्ति के लिए अत्यावश्यक था। रोजगारों के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था एक अच्छा कदम है। लेकिन पहली बार नौकरी करने वालों को एक माह की पगार देना समझ से परे है। जिनकी नौकरी लग ही गई है, उन्हें एक माह की मुफ्त पगार देने के बजाए युवकों को नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए धन खर्च किया जाना चाहिए था। कृषि को भी महत्व दिया गया है। देश की बढ़ती खाद्य जरूरतों को देखते हुए जेनेटिक फसलों पर अधिक शोध कर और उन्हें मानव स्वास्थ्य के अनुकूल बनाकर उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन जरूरी है। इससे दालों व खाद्य तेल के आयात पर लगाम लग सकती है। नौकरी व पेशेवर वर्ग को करों में जो राहत दी गई, वही राहत मध्य मार्ग के व्यापारियों को भी मिलनी चाहिए थी। कर मुक्त टैक्स स्लैब को भी बढ़ाया जाना था। शेयर का काम करने वालों के लिए पहले से ही लागू भारी टैक्स को और भारी बनाना शेयर होल्डर्स को निराश करेगा। सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त चिकित्सा और कारों में विशेष राहत भी दी जानी चाहिए थी। 70 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को आयुष्मान भारत के दायरे में लाना चाहिए।

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

इंटर्नशिप का स्वागत

वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट को विपक्षी दलों ने कुर्सी बचाओ बजट बताया है। बजट का सबसे खूबसूरत पहलू युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास है। बजट में की गई पांच वर्ष में एक करोड़ इंटर्नशिप एवं छात्रों के लिए 10 लाख रुपए शिक्षा लोन की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। बजट का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू बिहार को 56 हजार करोड़ की और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की परियोजनायें हैं। लेकिन देखना होगा कि कहीं यह धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। बिहार में थोड़े ही समय में अनेक पुलों के गिरने की खबरें सुर्खियों में रही हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके हैं। इस बजट में विष्णुपद मंदिर एवम बौद्ध गया हेरिटेज कॉरिडोर निर्माण का प्रस्ताव एक अच्छा कदम है। इन महत्वपूर्ण स्थलों के विकास से अंतरराष्ट्रीय पर्यटक बिहार में बड़ी संख्या में आएंगे। इससे बिहार समृद्ध होगा, विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा बजट व अपने राज्यों के लिए आबंटन पर खुशी जाहिर करने से उन मोदी-विरोधी विपक्षियों की उम्मीदें टूट गई हैं जो सरकार गिरने का राग अलाप रहे थे।

– **वीरेंद्र कुमार जाटव,** दिल्ली

सोना-चांदी सस्ता

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश करते हुए सारी महिलाओं की प्रमुख चाहत पूरा करने के लिए साने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 प्रतिशत कर दी है। इससे अनेक महिलाओं को खुशी मिली है क्योंकि आभूषणों के प्रति उनका आकर्षण सभी जानते हैं। इससे जहां छोटे-बड़े सर्राफा कारीगरों को लाभ होगा, वहीं समाज के निम्न मध्य वर्ग व गरीब तबके को भी लाभ होगा जो शादी-विवाह या अन्य मंगल अवसरों पर घर की महिलाओं को कोई न कोई आभूषण देना चाहते थे। सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने से इसकी स्मगलिंग पर भी लगाम लगेगी तथा अमीर भारतीयों को विदेशों से सोना खरीद कर लाने का रास्ता खुलेगा। मध्यम वर्ग व सर्विस क्लास को खुश करने के लिए आयकर में राहत दी गई जिससे उन्हें 17,500 रुपये तक का लाभ हो सकेगा। निर्मला सीतारमण ने आठ महीने तक लागू होने वाले बजट में काफी नरमी दिखाई है। इस बजट से लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी सुविधाएं बढ़ेंगी व देश भी प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। उम्मीद करनी चाहिए कि आगे आने वाले बजट जनता को और राहत देंगे।

–**शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।